एक्ज़िमिअस:
निर्यात लाभ
सितंबर 2024
खंड - XL | अंक - III

इस अंक में

- भारतीय खिलौना उद्योग: लोकल के लिए वोकल
- महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के साधन के रूप में व्यापार
- बढ़ता वैश्विक संप्रभु ऋण: हालिया ट्रेंड
- सेवाओं में व्यापार संबंधी सामान्य करार
- सहयोग का नया युग: ईएफटीए के साथ भारत के संबंध

संपादकीय टीम:
श्री डेविड सिनाटे, *मुख्य महाप्रबंधक*
श्री विश्वनाथ जांध्याला, *सहा. महाप्रबंधक*
सुश्री अल्फिया अंसारी, *उप प्रबंधक*

की तिमाही प्रकाशन

केन्द्र एक भवन, 21 वीं मंज़िल,
विश्व व्यापार केन्द्र संकुल,
कफ़ परेड, मुंबई - 400 005.
फोन: 022 2217 2600
ईमेल: ccg@eximbankindia.in
www.eximbankindia.in
www.eximmitra.in

भारतीय खिलौना उद्योग: लोकल के लिए वोकल

– **राहुल मजूमदार,** *उप महाप्रबंधक*
धितीका शाह, *अधिकारी*

हाल के समय में वैश्विक खिलौना उद्योग नवाचार, मनोरंजन और आर्थिक वृद्धि का एक उल्लेखनीय केंद्र बन गया है। स्थानीय शिल्प, परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और प्रोत्साहित करने में इस उद्योग की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। साथ ही, बच्चों की शिक्षा और संपूर्ण विकास में भी इस उद्योग का उल्लेखनीय योगदान है।

बच्चों की बढ़ती आबादी के साथ खिलौनों का बाजार भी बढ़ रहा है। वैश्विक खिलौना उद्योग के विकास के प्रमुख कारकों में बढ़ती प्रयोज्य (डिस्पोज़ेबल) आय, नए उपभोक्ता वर्गों का उभरना और नवाचार एवं सस्टैनेबिलिटी के लिए तकनीकी उन्नति जैसे कारक भी शामिल हैं।

चीन वैश्विक स्तर पर खिलौना उद्योग में प्रमुख देश है। वैश्विक खिलौना उत्पादन में चीन की हिस्सेदारी 70% से अधिक है। वर्ष 2003 में चीन का वैश्विक खिलौना निर्यात 10 बिलियन यूएस डॉलर का था और वैश्विक निर्यात में इसकी हिस्सेदारी 30% थी। वहीं, वर्ष 2022 में इसका खिलौना निर्यात बढ़कर 83.3 बिलियन यूएस डॉलर का हो गया और वैश्विक निर्यात में इसकी 65% की उल्लेखनीय हिस्सेदारी रही। उसी वर्ष, शीर्ष खिलौना निर्यातकों में चीन के बाद 4.6 बिलियन यूएस डॉलर के निर्यातों के साथ यूएसए का स्थान रहा। चीन और यूएसए के बाद अन्य शीर्ष खिलौना निर्यातकों में जर्मनी (4.5 बिलियन यूएस डॉलर) और चेक गणराज्य (3.7 बिलियन यूएस डॉलर) शामिल रहे।

भारत का खिलौना उद्योग

भारत सरकार ने "मेक इन इंडिया" और "आत्मनिर्भर भारत" के अपने विजन को हासिल करने के क्रम में खिलौना क्षेत्र को एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया है। इस क्षेत्र में निर्यात की अपार संभावनाएं हैं। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर भारत को एक प्रमुख खिलौना विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना है। वैश्विक खिलौना उद्योग में हुए विभिन्न परिवर्तनों के चलते प्रमुख वैश्विक खिलौना विनिर्माता अपने उत्पादन केंद्रों में विविधीकरण और सस्टैनेबिलिटी, गुणवत्ता और गवर्नेंस पर फोकस कर रहे हैं। इससे भारत को अपनी खिलौना विनिर्माण क्षमताओं और खिलौना निर्यात को बढ़ाने का अवसर मिलेगा।

एक आकलन के अनुसार, वर्ष 2022 में भारत का खिलौना बाजार लगभग 1.5 बिलियन यूएस डॉलर का था और वर्ष 2028 तक इसके 3 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। वर्ष 2023-28 के दौरान इसके 12% की सीएजीआर से बढ़ने की उम्मीद है। यह क्षेत्र काफी बिखरा हुआ है। इस क्षेत्र का लगभग 90% हिस्सा असंगठित क्षेत्र में है। वैश्विक रूप से स्थापित मैटल और लेगो जैसी कंपनियों के अलावा,

भारत के खिलौना विनिर्माताओं में मुख्य रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) शामिल हैं। 4000 से अधिक घरेलू खिलौना विनिर्माण इकाइयां दिल्ली एनसीआर, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में संकेंद्रित हैं। साथ ही, देश भर में कुछ अन्य क्लस्टर भी खिलौना विनिर्माण में खिलौना उत्पादों के खंडों के संदर्भ में, वर्ष 2023 में, प्लास्टिक के खिलौने, कन्सट्रक्शन सेट और मॉडल, बच्चों के खिलौने, गुड़िया और स्टफ्ड खिलौने भारत के खिलौना विनिर्माण के शीर्ष खंडों में शामिल रहे। समग्र रूप से भारत में गुड़िया, सॉफ्ट टॉय और बोर्ड गेम जैसे उत्पाद खंडों में विनिर्माण की काफी संभावनाएं हैं। ये सभी श्रम–प्रधान उत्पाद हैं।

भारत सरकार खिलौना उद्योग की क्षमताओं को भुनाने के लिए प्रमुख नीतिगत प्रोत्साहन और सहायता प्रदान कर रही है। भारत को वैश्विक खिलौना विनिर्माण केंद्र बनाने के क्रम में भारत सरकार द्वारा विभिन्न पहलें की गई हैं। इनमें राष्ट्रीय खिलौना कार्य योजना (नैशनल टॉय एक्शन प्लान) की शुरुआत; पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार संबंधी निधि योजना (स्फूर्ति); नवीनतम मशीनों, डिजाइन केंद्रों और कौशल विकास के साथ कॉमन सुविधा केंद्रों का निर्माण; अनिवार्य गुणवत्ता प्रमाणन; खिलौनों पर आयात शुल्क में वृद्धि; और निर्यात केंद्र के रूप में जिले जैसी पहलें शामिल हैं।

वर्ष 2013 से 2022 के दौरान, खिलौना उत्पादों में भारत के विदेशी व्यापार निष्पादन में उल्लेखनीय बदलाव आया है। वर्ष 2020 से इस उद्योग में लगातार व्यापार अधिशेष दर्ज किया गया है। भारत से खिलौनों का निर्यात वर्ष 2013 में 88.6 मिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर वर्ष 2022 में 347 मिलियन यूएस डॉलर का हो गया। इस अवधि के दौरान 17.1% की एएजीआर दर्ज की गई। यद्यपि वर्ष 2022 में वैश्विक खिलौना निर्यात में भारत की हिस्सेदारी मात्र 0.3% की रही। यह आंकड़ा इस क्षेत्र में निर्यात को बढ़ाने की आवश्यकता को दर्शाता है।

दूसरी ओर, भारत का खिलौना आयात 2013 के 327.5 मिलियन यूएस डॉलर से घटकर 2022 में 137.9 मिलियन यूएस डॉलर का हो गया। इस गिरावट का प्रमुख कारण फरवरी 2020 में एचएस 9503 पर बेसिक कस्टम्स ड्यूटी (बीसीडी) को 20% से बढ़ाकर 60% करना रहा। राज्य–वार खिलौना निर्यातों में कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्य प्रमुख हैं।

भारत के खिलौना व्यापार में ट्रेंड

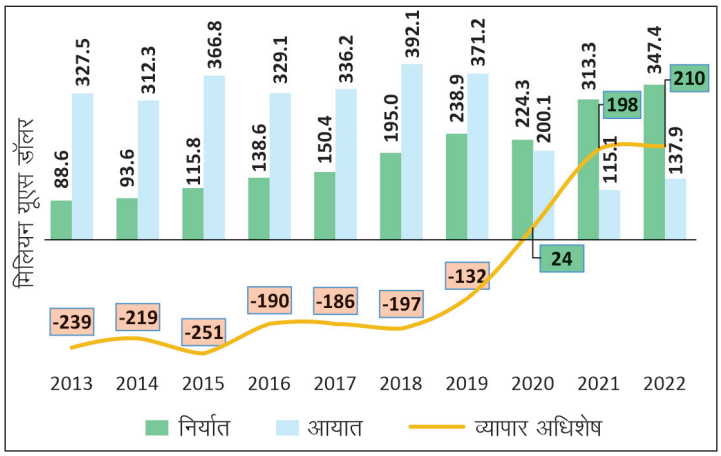

स्रोतः आईटीसी ट्रेड मैप; इंडिया एक्ज़िम बैंक

आयातक के रूप में भारत के लिए अमेरिका खिलौनों का तेजी से उभरता हुआ निर्यात बाजार बन गया है। वर्ष 2013 में भारत के खिलौना निर्यात में इसकी हिस्सेदारी 29% थी, जो वर्ष 2022 में बढ़कर 47% हो गई। वर्ष 2022 में नीदरलैंड, डेनमार्क और स्वीडन जैसे यूरोपीय देश भारत से शीर्ष दस खिलौना आयातकों के रूप में उभरे हैं। उल्लेखनीय है कि यूके भारत से खिलौनों का दूसरा सबसे बड़ा आयातक है। इसके बावजूद, यूके को भारत से खिलौनों के निर्यातों में कमी आई है। भारत से खिलौनों के कुल निर्यात में 2013 में यूके की हिस्सेदारी 19% थी, जो 2022 में घटकर 8% रह गई।

हाल के वर्षों में भारत द्वारा खिलौनों के आयात स्रोतों में विविधता देखी गई है। वर्ष 2013 में भारत द्वारा खिलौनों के कुल आयातों में चीन की हिस्सेदारी 92% थी। वर्ष 2013 की तुलना में वर्ष 2022 में चीन की हिस्सेदारी घटकर 57% रह गई। तथापि, नीदरलैंड, श्रीलंका, यूएई और यूएसए भारत को खिलौनों के प्रमुख निर्यातकों के रूप में उभरे हैं।

खंड-वार देखा जाए तो भारत का खिलौना निर्यात पहियों वाले खिलौनों, गुड़ियों, मनोरंजक मॉडल, पहेलियों और अन्य (एचएस 9503) में सबसे अधिक रहा है। वर्ष 2013 से 2022 के दौरान इन उत्पादों के निर्यातों में 18.8% की एएजीआर दर्ज की गई। वर्ष 2013 में यह निर्यात 39.9 मिलियन यूएस डॉलर का था, जो वर्ष 2022 में बढ़कर 167.2 मिलियन यूएस डॉलर का हो गया। त्यौहार, कार्निवल और अन्य मनोरंजन संबंधी वस्तुओं (एचएस 9505) में भी 121.7 मिलियन यूएस डॉलर का व्यापार अधिशेष रहा। यह भारत से खिलौनों के निर्यात में उल्लेखनीय संभावनाएं दर्शाता है।

भारत के खिलौना उद्योग को बढ़ाने संबंधी रणनीतियां

जीआई टैग वाले खिलौनों का निर्यात बढ़ाना

कर्नाटक के रंग–बिरंगे चन्नापटना खिलौने और आंध्र प्रदेश के कोंडापल्ली खिलौनों का अपना सांस्कृतिक महत्त्व है और इन्हें जीआई टैग प्राप्त है। इसके बावजूद इन राज्यों के खिलौना उद्योग जीआई टैग जैसी विशेषता का पूरा लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इन खिलौनों की निर्यात क्षमता और कारीगरों की आय बढ़ाने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसमें गुणवत्ता नियंत्रण उपायों में निवेश पर फोकस करना, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकों को पूरा करने के लिए मानकीकरण, कारीगरों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता विकास कार्यक्रम आयोजित करना, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और अंतरराष्ट्रीय खरीदारों के बीच विश्वास पैदा किया जा सके, इसके लिए आवश्यक प्रमाणपत्र प्राप्त करने जैसे उपाय शामिल हैं। खिलौना क्लस्टरों को बढ़ावा देने के लिए जिला स्तर पर पर्यटन पैकेज भी तैयार किए जा सकते हैं। इससे पर्यटकों को वहां की संस्कृति को जानने का मौका मिलेगा।

संपोषी (सस्टैनेबल) खिलौनों की ओर बढ़ते कदम

भारत को पर्यावरण अनुकूल खिलौनों की ओर अधिक से अधिक बढ़ना चाहिए। ये खिलौने लकड़ी, बांस, ऊन आदि जैसी नवीकरणीय सामग्रियों से बने होने चाहिए। इससे कार्बन फुटप्रिंट को कम करने तथा भारत के खिलौना उद्योग में चक्रीय (सर्कुलर) अर्थव्यवस्था बनाने में मदद मिलेगी। इस उद्योग में कई संपोषी पद्धतियों को शामिल किया जा सकता है। इन पद्धतियों में एक बार इस्तेमाल किए गए प्लास्टिक को रिसाइकल कर पुनः उपयोग करना; जैव–विघटनशील (बायोडिग्रेडेबल) सामग्रियों का उपयोग करने वाली संपोषी

पैकेजिंग को अपनाना शामिल है। सस्टैनेबल खिलौनों के विनिर्माण से भारत के पारंपरिक खिलौना उद्योग का भी विकास होगा। पारंपरिक खिलौना उद्योग की विशेषता है कि वहां खिलौने स्थानीय रूप से उपलब्ध पर्यावरण अनुकूल कच्चे माल से बनाए जाते हैं। आधुनिक खिलौना विनिर्माताओं को भी विभिन्न संपोषी लक्ष्यों के अनुकूल नीतियां लागू करनी चाहिए।

एफटीए के जरिए व्यापक बाजार पहुंच

भारत भविष्य में किए जाने वाले व्यापार करारों में भी पूर्व की भांति अपने शुल्क मुक्त खिलौना निर्यात नीति को जारी रख सकता है। पूर्व में, भारत–यूएई सीईपीए और भारत–ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए में भारत से शुल्क मुक्त खिलौना निर्यात का प्रावधान किया गया है। आसियान के साथ एफटीए समीक्षा के अनुरूप, आगामी मुक्त व्यापार करारों (एफटीए) की समीक्षाओं में टैरिफ घटाकर वृहत्तर बाजार पहुंच पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। इसके अलावा, देश–केंद्रित ऐसी निर्यात रणनीतियों को लागू किया जा सकता है, जो उन देशों में शीर्ष आयातित उत्पाद श्रेणियों और भारत में निर्यात प्रतिस्पर्धी उत्पाद श्रेणियों के बीच तालमेल बनाने वाली हों। यह उन व्यापार समझौतों में अधिक लागू होता है, जहां 0% टैरिफ (एएचएस) का लाभ प्राप्त होने के बावजूद भारतीय खिलौना निर्यातों में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है। भारत–जापान सीईपीए और भारत–दक्षिण कोरिया सीईपीए इसी का एक उदाहरण हैं।

खिलौनों की उच्च मांग वाले बाजारों पर ध्यान केंद्रित करना

इस अध्ययन में भारतीय खिलौनों के लिए कुछ मानदंडों के आधार पर संभावित निर्यात बाजार चिह्नित किए गए हैं। इनमें देश की कुल जनसंख्या में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का प्रतिशत, पिछले दशकों में वैश्विक खिलौनों के आयात में दर्ज की गई एएजीआर, वर्ष 2022 में वैश्विक खिलौनों का आयात और उसी वर्ष उस आयातक देश में भारत से खिलौनों का निर्यात जैसे मानदंड शामिल हैं। इसके अनुसार, चिह्नित किए गए मुख्य आयात बाजारों में नीदरलैंड, यूएई, दक्षिण अफ्रीका और मेक्सिको शामिल हैं। इसलिए, भारतीय खिलौना विनिर्माताओं को इन निर्यात बाजारों को लक्षित करने पर अधिक फोकस करना चाहिए।

कराधान संबंधी समस्याओं का समाधान

विभिन्न खिलौना श्रेणियों में जीएसटी दरों में एकरूपता नहीं है। इसके चलते खिलौना उद्योग वृद्धि में बाधा आ रही है। एचएस 9503 (ट्राइसाइकिल, एक जैसे पहियों वाले खिलौने) पर क्रमशः लागू 5%, 12% और 18% की तीन अलग–अलग जीएसटी दरें इसी का एक उदाहरण है। कराधान संबंधी अन्य चिंताओं में कई उपकरणों पर लगाया गया उच्च आयात शुल्क और गैर–इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों को मामूली उत्पाद संशोधन के बाद इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों के रूप में पुनः वर्गीकृत करने जैसे कदम शामिल हैं, जिसके कारण उन पर उच्च जीएसटी दर लागू होती है।

ई–कॉमर्स निर्यात को बढ़ावा देना

भारत में ई–कॉमर्स निर्यात में खिलौना उद्योग में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों का प्रभुत्व होने के चलते पारंपरिक और गैर–पारंपरिक खिलौना उद्योग के लिए बहुत अवसर हैं। इसके लिए कुछ उपाय किए गए हैं जिनमें खिलौना समूहों में ई–कॉमर्स प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन करना, उचित डिजिटल बुनियादी ढांचे की उपलब्धता सुनिश्चित करना, ग्लोबल चैंपियन कार्यक्रम विकसित करना आदि शामिल है। इन उपायों के अंतर्गत चयनित कंपनियों को अनुसंधान और विकास, मार्केटिंग, ऋण पर अतिरिक्त ब्याज छूट, ई–कॉमर्स के लिए निर्यात मंजूरी में सुविधा और लॉजिस्टिक्स जैसी सभी प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है।

अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना

भारत खिलौना–सम्बंधित कॉमन सुविधा केंद्रों को बढ़ाकर और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), संवर्धित वास्तविकता (एआर), वर्चुअल रियलिटी (वीआर) जैसी नई विशेषताओं और तकनीकों को शामिल कर अनुसंधान और विकस (आर एंड डी) में निवेश को बढ़ा सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शैक्षणिक पाठ्यक्रम में खिलौनों के उपयोग को शामिल करने पर फोकस करने के क्रम में शैक्षिक और एसटीइएम (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) आधारित खिलौनों में निवेश भी बढ़ाया जा सकता है। खिलौना उद्योग के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना की शुरुआत पर भी विचार–विमर्श किया जा रहा है।

खिलौना निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना

भारत में खिलौनों के निर्यात को बढ़ावा देने के क्रम में `खिलौना निर्यात संवर्धन परिषद' की स्थापना करना एक प्रभावी उपाय हो सकता है। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि वर्तमान में भारत के खिलौना उत्पादों को आंशिक रूप से दो अलग–अलग निर्यात संवर्धन परिषदों द्वारा कवर किया जाता है। इन दो परिषदों का नाम क्रमशः हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद (इपीसीएच) और खेल सामान निर्यात संवर्धन परिषद (एसजीइपीसी) है। खिलौना उत्पादों से संबंधित गतिविधियों को सुगम बनाने के क्रम में स्थापित निकाय से संबंधित हितधारकों के लिए निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र में अधिक पारदर्शिता की उम्मीद की जा सकती है। प्रस्तावित खिलौना निर्यात संवर्धन परिषद खिलौना व्यापार मेलों में भागीदारी को सुगम बनाने, क्षमता विकास कार्यक्रमों में सहायता प्रदान करने और व्यापार से संबंधित जानकारी के लिए एकमात्र स्रोत के रूप में कार्य कर भारत की निर्यात प्रक्रियाओं और दस्तावेजों से जुड़ी जानकारी देने में सहायक साबित हो सकती है। इसके अलावा, यह परिषद निर्यातकों को आयातक बाजारों के सुरक्षा मानकों का पालन करने और इस क्षेत्र में नवीनतम विकास से अवगत रहने में भी सहायता प्रदान कर सकती है।

अतः भारत की खिलौना विनिर्माण क्षमताओं में सुधार के लिए इस उद्योग से संबंधित नीतियों पर समय रहते ध्यान देना आवश्यक है, ताकि यह अन्य प्रमुख खिलौना विनिर्माताओं के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके। यह विशेष रूप से इस समय और जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि वैश्विक खिलौना विनिर्माता अपने आपूर्ति आधार में विविधता लाने का प्रयास कर रहे हैं। खिलौनों में नवाचार और डिज़ाइन को बढ़ावा देना, घरेलू खिलौना मांग को सुदृढ़ करना और उद्योग की निर्यात क्षमता को बढ़ाने जैसे अन्य विकास कारकों के जरिए भारत को वैश्विक खिलौना विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी। ■

महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के साधन के रूप में व्यापार

– **जाह्नवी सिंह,** *मुख्य प्रबंधक*
नेहा रामन, *प्रबंधक*

अंतरराष्ट्रीय व्यापार का लैंगिकता से गहरा संबंध है। आय सृजन, रोजगार और उद्यमिता के अवसर पैदा कर महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा देने में व्यापार की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार आधारित उद्यमों में महिलाओं को ज्यादा रोजगार दिए जाते हैं। इसके अलावा, इसमें यह भी कहा गया है कि व्यापार में जितनी अधिक उदारता (खुलापन) होती है, महिला श्रमिकों के लिए वैतनिक रोजगार भी उतने ही अधिक होते हैं। चूंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत एक प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित है, इसलिए यह समझना आवश्यक है कि महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए व्यापार नीतियों और पद्धतियों का किस प्रकार लाभ उठाया जा सकता है। यह समावेशी और संपोषी विकास के लिए महत्त्वपूर्ण है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी

भारत में महिला श्रम बल (लेबर फोर्स) की भागीदारी पुरुषों की तुलना में काफी कम है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के डेटा के अनुसार, 2022–23 में भारत में सामान्य स्थिति में महिला श्रम बल भागीदारी 27.8% रही, जो पुरुष श्रम बल की 56.2% की भागीदारी की लगभग आधी रही। जी–20 देशों में, 2015–2021 के दौरान औसत महिला श्रम शक्ति भागीदारी भारत में सबसे कम रही। पीएलएफएस के डेटा से यह भी पता चलता है कि भारत में महिला श्रमिकों में 37.5% (ग्रामीण और शहरी, संयुक्त रूप से) घरेलू उद्यमों में अवैतनिक सहायकों के रूप में कार्यरत हैं, जो घरेलू उद्यमों में अवैतनिक सहायकों के रूप में काम करने वाले 9.3% पुरुष श्रमिकों की तुलना में काफी अधिक है। इस बीच, देश में केवल 15.9% महिला श्रमिक (ग्रामीण और शहरी, संयुक्त रूप से) नियमित वेतन/वेतनभोगी रोजगार में हैं। वहीं, नियमित वेतन/वेतनभोगी रोजगार में पुरुष श्रमिकों का आंकड़ा 23.2% है। इसके अलावा, लगभग 27.8% महिलाएं अपना स्वयं का काम करती हैं / नियोक्ता हैं, जबकि इसी अवधि के दौरान पुरुषों में यह प्रतिशत 44.3% रहा। यह महिलाओं के आर्थिक प्रतिनिधित्व और स्वामित्व में एक बड़े अंतर को दर्शाता है। यह अंतर महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों और उद्यमों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की जाने वाली पहलों की अनिवार्यता को रेखांकित करता है।

निर्यात–गहन क्षेत्रों में महिला श्रम बल की भागीदारी

भारत में निर्यात–गहन क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी पर एक्ज़िम बैंक का एक आंतरिक `रोजगार गहनता सूचकांक' है। इस सूचकांक पर आधारित विश्लेषण के अनुसार, केवल पांच क्षेत्र ऐसे हैं, जिनमें महिलाओं को रोजगार का अनुपात, अखिल भारतीय स्तर पर महिलाओं को रोजगार की तुलना में अधिक है। साथ ही, इन पांच क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर की तुलना में निर्यात गहनता भी अधिक है। इन निर्यात–गहन क्षेत्रों में वे क्षेत्र शामिल हैं, जिनमें भारत का निर्यात पारंपरिक रूप से प्रतिस्पर्धी रहा है। इनमें परिधान, टेक्सटाइल, फार्मासूटिकल और चमड़ा उत्पाद क्षेत्र शामिल हैं। अखिल भारतीय स्तर पर महिला रोजगार के अपेक्षाकृत बेहतर अनुपात वाले पांच निर्यात–गहन क्षेत्रों में से केवल दो क्षेत्रों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की भागीदारी अधिक रही है। ये दो क्षेत्र परिधान और टेक्सटाइल्स क्षेत्र हैं। यदि इन दो क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं के अनुपात की तुलना दूसरे समस्त क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं और पुरुषों से की जाए तो इन दो क्षेत्रों में महिला कामगारों की संख्या अधिक है। यानी समस्त क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं की तुलना में इन दो क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं का अनुपात, कुल पुरुष श्रम बल की तुलना में इन दो क्षेत्रों में काम करने वाले पुरुषों से अधिक है।

उल्लेखनीय है कि इनमें से अधिकांश क्षेत्र संसाधन–गहन या न्यून मूल्य–वर्धित निर्यात क्षेत्र हैं। न्यून मूल्य–वर्धित और संसाधन–गहन निर्यात क्षेत्र बाहरी झटकों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। यानी इन क्षेत्रों पर बाह्य परिस्थितियों का प्रभाव जल्दी पड़ता है। इसलिए, इन क्षेत्रों में महिला रोजगार का उच्च संकेंद्रण उन्हें कमोडिटी चक्रों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है। इसके विपरीत, परिवहन उपकरण, मशीनरी और उपकरण, विद्युत उपकरण और कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पाद आदि जैसे कई उच्च प्रौद्योगिकी गहन उद्योगों में कार्यरत महिलाओं की संख्या, कुल महिला रोजगार की तुलना में पुरुष रोजगार के अनुपात से काफी कम है।

राज्य स्तरीय विश्लेषण

एक्ज़िम बैंक द्वारा अपने इन–हाउस राज्य–स्तरीय रोजगार गहनता सूचकांक के आधार पर भारत के विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में महिला रोजगार के संबंध में विश्लेषण किया गया है। इसके अनुसार विश्लेषण किए गए 33 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में से 21 में अखिल भारतीय स्तर की तुलना में महिलाओं की रोजगार गहनता अपेक्षाकृत अनुकूल है। 2022–23 के दौरान, भारत के मर्चेंडाइज निर्यात में इन 21 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की संयुक्त रूप से लगभग 80.6% की हिस्सेदारी रही। इसमें अन्य के साथ–साथ गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और ओडिशा जैसे कुछ शीर्ष निर्यातक राज्य शामिल रहे। उच्च निर्यात और कार्यबल में अपेक्षाकृत अधिक महिला भागीदारी वाले इन राज्यों द्वारा निर्यात क्षेत्रों, विशेषकर प्रौद्योगिकी–उन्मुख क्षेत्रों में महिला भागीदारी को बनाए रखने और इसमें और सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित करने वाले नीतिगत उपाय लागू किए जा सकते हैं। इस बीच, शीर्ष 10 निर्यातक राज्यों में से उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल में अखिल भारतीय स्तर की तुलना में महिलाओं की रोजगार गहनता अपेक्षाकृत कम है। इससे यह संकेत मिलता है कि इन राज्यों में निर्यात बढ़ाने के लिए अनुकूल नीतियां होने के बावजूद निर्यात क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए ऐसी नीतियों में लैंगिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।

व्यापार को महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के साधन के रूप में उपयोग करने संबंधी रणनीतियां

भारत के व्यापार करार में लैंगिक पहलुओं को मुख्यधारा में लाना

हाल के दशकों में लैंगिक मुद्दों को क्षेत्रीय व्यापार करारों (आरटीए) में तेजी से एकीकृत किया जाता रहा है। आरटीए में लैंगिक प्रावधानों पर डब्ल्यूटीओ के डेटाबेस से पता चलता है कि वैश्विक स्तर पर, वर्तमान में लागू लगभग एक तिहाई आरटीए में लैंगिक प्रावधान हैं। देशगत स्तर पर देखा जाए तो लगभग 153 देशों में उनके आरटीए में लैंगिक तौर पर कम से कम एक विशिष्ट प्रावधान है। तथापि, भारत के 14 मुक्त व्यापार करारों (एफटीए) और 6 तरजीही व्यापार करारों (पीटीए) में से किसी एक में भी लैंगिक–विशिष्ट प्रावधान या लैंगिक अध्याय नहीं हैं। भारत को अपने एफटीए में लैंगिक प्रावधानों या लैंगिक अध्याय को शामिल करने के लिए मौजूदा एफटीए पर फिर से वार्ता करने की आवश्यकता है। व्यापार करारों में ऐसे प्रावधानों को शामिल करने से घरेलू स्तर पर सकारात्मक बदलाव को बढ़ावा मिल सकता है और इनके कार्यान्वयन के बाद आर्थिक अवसरों तक महिलाओं की पहुंच बढ़ाने में मदद मिल सकती है। भारत व्यापार करारों में लैंगिक–विशिष्ट प्रस्तावना; प्रशिक्षण और क्षमता विकास कार्यक्रम; न्यूनतम कानूनी मानक; लैंगिक समितियां; अनुसंधान और प्रभाव मूल्यांकन; अंतरराष्ट्रीय लैंगिक और व्यापार व्यवस्थाओं में शामिल होना; महिला रोजगार प्रधान क्षेत्रों में टैरिफ में छूट की मांग करना; और सार्वजनिक खरीद चैनलों के माध्यम से महिलाओं को आपूर्तिकर्ता के रूप में बढ़ावा देने आदि जैसे पहलुओं को शामिल कर अपने व्यापार करारों को अधिक लैंगिक समावेशी बनाने पर विचार कर सकता है।

भारत के व्यापार सुगमीकरण में महिला–केंद्रित उपायों का कार्यान्वयन बढ़ाना

भारत को "व्यापार सुगमीकरण में महिलाएं" संबंधी उपायों के कार्यान्वयन को बढ़ाने की दिशा में काम करने की आवश्यकता है। इन उपायों के अलावा, लैंगिक–संवेदनशील दृष्टिकोण के साथ कुछ अन्य व्यापार सुगमीकरण उपाय भारत में क्रियान्वित किए जा सकते हैं। इनमें प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना और महिला व्यापारियों के लिए लैंगिक संवेदनशील व्यापार सुविधा केंद्र और क्षमता विकास कार्यक्रम जैसी विशिष्ट सहायता सेवाएं स्थापित करना शामिल है। भारत शीट्रेड्स साउथ अमेरिका प्रोजेक्ट जैसी कुछ वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करने पर विचार कर सकता है। इस परियोजना के अंतर्गत महिला उद्यमियों को विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम, महत्त्वपूर्ण बाजार जानकारियों तक पहुंच, व्यापार के अवसर और व्यापार–संबंधी विनियमन तथा नेटवर्किंग के अवसर आदि प्रदान किए जाते हैं।

भारत की विदेश व्यापार नीति में महिलाओं के लिए विशिष्ट सहायता उपाय करना

भारत की विदेश व्यापार नीति 2023 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और ई–कॉमर्स निर्यातकों के लिए विशेष हस्तक्षेप की बात कही गई है, लेकिन महिला निर्यातकों के लिए फिलहाल ऐसे कोई अलग प्रावधान/सहायता उपाय नहीं हैं। भारत सरकार मौजूदा योजनाओं में महिलाओं की सहायता के लिए विशिष्ट प्रावधान शुरू करने पर विचार कर सकती है। उदाहरण के लिए, भारत सरकार निर्यात संवर्धन योजनाओं में महिलाओं के लिए वार्षिक कारोबार वर्गीकरण पर आधारित न्यूनतम सीमा पर विचार कर सकती है। राज्य सरकारें महिला स्वामित्व वाले निर्यातों को प्रोत्साहित करने के लिए नीतिगत उपाय भी कर सकती हैं, जिनमें i) निर्यात व्यवसाय से जुड़ीं महिला उद्यमियों के लिए अतिरिक्त पूंजीगत निवेश सब्सिडी; ii) सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों/ बैंकों से प्राप्त कुल ऋण पर महिला निर्यातकों के लिए अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी; iii) सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) योजना के तहत लगाए गए गारंटी शुल्क की प्रतिपूर्ति; iv) निर्यातक महिला उद्यमियों के लिए औद्योगिक पार्क में विशेष क्षेत्र की स्थापना जैसे उपाय शामिल हैं।

महिलाओं के लिए व्यापार वित्त में कमी को दूर करने के लिए, भारतीय बैंक अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी) जैसे बहुपक्षीय विकास बैंकों (एमडीबी) के महिला–केंद्रित व्यापार वित्त कार्यक्रमों में भागीदारी बढ़ा सकते हैं। व्यापार में प्रवृत्त महिला उद्यमियों के लिए वित्तपोषण के विकल्प बढ़ाने के क्रम में आईएफसी का ऐसा ही एक कार्यक्रम है– "बैंकिंग ऑन वीमेन (बीओडब्ल्यू)– ग्लोबल ट्रेड फायनैंस प्रोग्राम (जीटीएफपी)"। इस कार्यक्रम के जरिए आईएफसी 80 से अधिक उभरते बाजारों में 240 साझेदार बैंकों के साथ मिलकर काम करता है। तथापि, वर्तमान में केवल 3 भारतीय बैंक आईएफसी पहल के तहत सहभागिता कर रहे हैं।

इसके अतिरिक्त, भारत में महिलाओं के स्वामित्व वाले/नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए, विशेषकर निर्यात वित्त पर केंद्रित एक अनुरूपी वित्तपोषण कार्यक्रम विकसित किया जा सकता है। इस संदर्भ में, भारत द्वारा कनाडा, यूएसए, ट्यूनिशिया और ज़ांबिया जैसे देशों की सर्वोत्तम प्रथाओं का संदर्भ लिया जा सकता है, जिनके पास महिला उद्यमियों और निर्यातकों की सहायता के लिए विशिष्ट कार्यक्रम हैं।

लिंग–विभाजित आंकड़ों के अंतराल को दूर करना

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों और अंकटाड के कॉमट्रेड डेटाबेस जैसी अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा प्रकाशित औपचारिक व्यापार आंकड़े व्यापार प्रवाह की दिशा को दर्शाते हैं। तथापि, ये आंकड़े आमतौर पर लैंगिक आधार पर विभाजित नहीं होते हैं। इसके अलावा, श्रम बल के डेटा जहां प्रायः लैंगिक आधार पर विभाजित होते हैं तथा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होते हैं, वहीं भारत में इन आंकड़ों में व्यापार संबंधी पहलुओं को शामिल नहीं किया जाता है। इसके अलावा, भारत में लैंगिक आधार पर अलग–अलग व्यवसाय पंजीकरण के संबंध में व्यापक डेटा भी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। भारत सरकार के कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा पंजीकृत, सक्रिय, गैर–सक्रिय, बंद कंपनियों/सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) फर्मों का विवरण पर काम किया जाता है। मंत्रालय द्वारा यह विवरण मासिक सूचना बुलेटिन के रूप में प्रकाशित किया जाता है। तथापि, इन आंकड़ों में लैंगिक आधार पर कोई आंकड़े शामिल नहीं होते हैं।

एमसीए द्वारा ऐसे आंकड़ों को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराने पर विचार किया जा सकता है। भारत सरकार लैंगिक आधार पर व्यापार डेटा के आकलन और प्रकाशन पर ध्यान केंद्रित करने पर विचार कर सकती है। इस दिशा में, कर प्रशासन एवं कस्टम्स रिकॉर्ड अंतरराष्ट्रीय व्यापार में संलग्न महिला उद्यमियों को चिह्नित करने में महत्त्वपूर्ण स्रोत का कार्य कर सकते हैं। सुविचारित नीति निर्माण और प्रभाव मूल्यांकन के लिए भारत सरकार अपने मौजूदा जीएसटी और कस्टम्स डेटा संग्रह के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर लैंगिक आधार पर डेटा जुटा सकती है। इसे शोध और नीतिगत विश्लेषण के लिए जनता के लिए भी सुलभ बनाया जा सकता है।■

बढ़ता वैश्विक संप्रभु ऋण: हालिया ट्रेंड

– **सारा जॉय,** *मुख्य प्रबंधक*
सृजिता नंदी, *उप प्रबंधक*

वैश्विक सामान्य सरकारी ऋण

कोविड–19 महामारी के बाद से, विभिन्न देशों का राजकोषीय घाटा और सार्वजनिक ऋण बढ़ गया है। यह महामारी–पूर्व के अपने स्तर से अधिक हो गया है। बढ़ती ब्याज दरों के चलते ब्याज व्यय बढ़ गया है। वहीं, महामारी के दौरान शुरू किए गए सहयोगात्मक उपायों को जारी रखने और रूस–यूक्रेन संघर्ष के परिणामस्वरूप बढ़ी ऊर्जा कीमतों संबंधी राहत के उपायों के चलते सामाजिक लाभों, सब्सिडी और हस्तांतरण पर खर्च बढ़ गया है। मुद्रास्फीति भले ही कम हो रही है, लेकिन पुनः लक्ष्य तक इसकी वापसी अनिश्चित बनी हुई है।

वित्तपोषण की परिस्थितियां प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति, ब्याज दरों और राजकोषीय नीतियों से प्रभावित होती हैं। कमजोर राजकोषीय नीतियों और बढ़ते कर्ज के साथ–साथ सख्त मौद्रिक नीति के कारण यूएस में दीर्घावधि सरकारी बॉन्ड प्रतिफल और अस्थिरता बढ़ गई है, जिसका असर अन्यत्र भी पड़ा है। चीन की धीमी वृद्धि दर और वित्तीय अस्थिरता से वैश्विक व्यापार प्रभावित हो सकता है। इससे चीन के प्रमुख व्यापार भागीदारों के लिए राजकोषीय चुनौतियां पैदा हो सकती हैं।

2023 में, सार्वजनिक ऋण 97 ट्रिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच गया। इसमें घरेलू और विदेशी सामान्य सरकारी ऋण शामिल हैं। यह 2022[1] से 5.6 ट्रिलियन यूएस डॉलर अधिक और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 93.2% रहा (तालिका 1)। आईएमएफ के अनुसार, मध्यम अवधि में वैश्विक सार्वजनिक ऋण भार बढ़ता रहेगा, तथापि यह उल्लेखनीय क्षेत्रीय असमानताओं से प्रभावित होगा। (तालिका 1)। विकसित देशों में यूएस का सार्वजनिक ऋण सबसे अधिक 33.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर का रहा। इसके बाद 10.6 ट्रिलियन यूएस डॉलर का जापान का ऋण रहा।

तालिका 1: सामान्य सरकारी सकल ऋण में ट्रेंड (जीडीपी का %)

क्षेत्र/देश	2019	2020	2021	2022	2023[e]	2024[f]	2025[f]
उन्नत अर्थव्यवस्थाएं	103.9	122.4	116.2	111.2	111.0	111.2	112.4
यूएसए	108.1	132.0	125.0	120.0	122.1	123.3	126.6
उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं	55.0	64.6	63.9	64.0	68.0	69.4	71.3
चीन	60.4	70.1	71.8	77.1	83.6	88.6	93.0
भारत	75.0	88.4	83.5	81.7	82.7	82.5	81.8
निम्न आय वाले विकासशील देश	42.9	49.4	49.2	50.5	53.2	51.8	50.0
उप सहारा अफ्रीका	49.7	57.0	56.2	57.2	60.1	58.5	56.8
विश्व	84.2	99.4	94.7	91.3	93.2	93.8	95.1

स्रोतः आईएमएफ और इंडिया एक्ज़िम बैंक रिसर्च

2023 में, विकासशील देशों में सार्वजनिक ऋण 29 ट्रिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच गया, जो कुल वैश्विक ऋण का 30% रहा। 2010 में यह हिस्सेदारी 16% की थी। यानी 2010 की तुलना में यह अच्छी वृद्धि रही। यह वृद्धि विकासशील देशों में तेजी से बढ़ते सार्वजनिक ऋण को दर्शाती है। इस ऋण का तीन–चौथाई से अधिक हिस्सा एशिया और ओशिआनिया क्षेत्र के देशों पर बकाया है, जबकि लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई देशों का हिस्सा 17% है और अफ्रीका का सिर्फ 7% है। एशिया में, 14.8 ट्रिलियन यूएस डॉलर का सबसे अधिक सार्वजनिक ऋण चीन का रहा। इसके बाद 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर का भारत का ऋण रहा।

2022 में वैश्विक मुद्रास्फीति 8.7% (उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में 9.8%) रही। बढ़ती नॉमिनल और वास्तविक ब्याज दरों के बीच 2023 में भले ही यह कम होकर 6.7% (उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में 8.3%) हो गई, किन्तु कई उभरते–बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए ऋण चुकौती चुनौतीपूर्ण बनी हुई है।

उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में, विशेष रूप से उनके महामारी–पूर्व स्तरों की तुलना में सरकारी ऋण स्तरों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। विनिमय दरों में गिरावट आने से उच्चतर विदेशी मुद्रा उधारियों वाले देशों पर ऋण भार बढ़ गया। महामारी के बाद से आए कई झटकों के अलावा, 2021 में समाप्त हो चुकी ऋण चुकौती निलंबन पहल जैसे कुछ अंतरराष्ट्रीय ऋण राहत उपायों की अवधि समाप्त हो गई है। कुछ निम्न आय वाले विकासशील देशों (चाड, इथियोपिया, घाना और ज़ाम्बिया) ने ग्रुप ऑफ ट्वेंटी (जी–20) कॉमन फ्रेमवर्क के अंतर्गत ऋण राहत की मांग की है। श्रीलंका ने आधिकारिक ऋणदाता समिति (ओसीसी), चीन और बाह्य वाणिज्यिक ऋणदाताओं से भी ऋण राहत का अनुरोध किया है।

बढ़ती ब्याज दरों के कारण विकासशील देशों द्वारा भी संप्रभु चूकों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पिछले तीन वर्षों में, 18 देशों ने अपना ऋण चुकाने में चूक की। यह पिछले दो दशकों में चूक की कुल संख्या से कहीं अधिक है। पिछले एक दशक में देय ब्याज भी बढ़कर चौगुना हो गया है। आईएमएफ ने निम्न आय वाले नौ देशों को चिह्नित किया है, जो वर्तमान में ऋण संकट में हैं। वहीं 25 देशों को ऋण संकट के उच्चतर जोखिम वाली श्रेणी में रखा गया है। इन देशों को अपने ऋणों के पुनर्वित्त के लिए उच्च लागतों का सामना करना पड़ रहा है और उन पर स्वास्थ्य, शिक्षा और अवसंरचना जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश की तुलना में ऋण चुकौती को प्राथमिकता देने का दबाव है। विकासशील देशों ने वर्ष 2022 में अपने सरकारी राजस्व का औसतन 8.8% या अपने निर्यात राजस्व का 6.3% विदेशी सार्वजनिक ऋण की चुकौती के रूप में खर्च किया

[1] अ वर्ल्ड ऑफ डेब्ट रिपोर्ट 2024, यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट (यूएनसीटीएडी)

है। विकासशील क्षेत्र विकसित देशों की तुलना में 2 से 4 गुना उच्चतर दरों पर उधार लेते हैं।

संप्रभु चूक में ट्रेंड

संप्रभु ऋण संकट से भू–राजनीतिक जोखिम उल्लेखनीय रूप से बढ़ सकता है। किसी संप्रभु ऋण को न चुकाए जाने से देनदार देशों और उनके लेनदारों के बीच संबंधों में तनाव आ सकता है, त्वरित अंतरराष्ट्रीय सहायता की ओर बढ़ा जा सकता है, जिससे घरेलू राजनीतिक अस्थिरता आ सकती है और अनियमित प्रवासन प्रवृत्तियां बढ़ सकती हैं। प्रभावित देशों और क्षेत्रों तथा वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य पर इन सभी कारकों का व्यापक प्रभाव हो सकता है।

2023 में चूक वाले संप्रभु ऋण 523 बिलियन यूएस डॉलर के हो गए। यह दुनिया भर में कुल सार्वजनिक ऋण का 0.5% रहा, जो महामारी के पहले के स्तर से 0.4% अधिक रहा। हालांकि 2022 में चूक वाले संप्रभु ऋण 530 बिलियन यूएस डॉलर के थे और 2023 में ये 0.6% कम रहे। तथापि, यह 2021 में रिपोर्ट किए गए 413.6 बिलियन यूएस डॉलर के चूक वाले संप्रभु ऋणों से अधिक बना रहा। चूक करने वाले देशों की संख्या घटकर 92 रही, जो 2022 में 98 और 2021 में 99 थी। यह बदलाव मुख्य रूप से अधिक सख्त वित्तपोषण शर्तों के कारण हुआ, जिसका प्रभाव कई अत्यधिक ऋणग्रस्त गरीब देशों और उभरते/सीमांत बाजार संप्रभु देशों पर पड़ा। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में ऋण चूक शून्य रही, क्योंकि प्यूर्टो रिको ने 2022 में अपनी ऋण पुनर्संरचना पूरी कर ली और यूके ने ईरान को लंबे समय से चली आ रही देनदारी चुका दी।

आईएमएफ, विश्व बैंक और अंतर अमेरिकी विकास बैंक जैसी संस्थाओं सहित बहुपक्षीय ऋणदाताओं के प्रति चूक 2019 के 7.0 बिलियन यूएस डॉलर से घटकर 2023 में 4.5 बिलियन यूएस डॉलर की रह गई। वहीं दूसरी ओर, द्विपक्षीय ऋणदाताओं के संदर्भ में 2019 और 2023 के बीच चूक में 90.2 बिलियन यूएस डॉलर की वृद्धि रही (तालिका 2)। निजी ऋणदाताओं के बीच विदेशी मुद्रा बॉन्ड हाल के वर्षों में, चूक वाले ऋणों के प्रमुख स्रोत के रूप में उभरे हैं। 2023 में संप्रभु चूकों में इनकी हिस्सेदारी सबसे अधिक 43.5% की रही, जो द्विपक्षीय आधिकारिक ऋणदाताओं की 40.2% की संचयी हिस्सेदारी से अधिक है। इससे विभिन्न देशों के बीच विदेशी निजी ऋण के बढ़ते ट्रेंड का पता चलता है।

स्थानीय मुद्रा संप्रभु ऋण पर चूक 2022 के 16 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 2023 में लगभग 27 बिलियन यूएस डॉलर की हो गई, जिसमें 65% की वृद्धि हुई। यह 1999 के बाद का उच्चतम स्तर रहा, जो काफी हद तक घाना और श्रीलंका में चल रही पुनर्संरचना को दर्शाता है। अर्जेंटीना, लाइबेरिया और सूरीनाम द्वारा लघुतर चूक दर्ज की गई। 2023 में चूक का वितरण मूल्य की दृष्टि से अत्यधिक संकेंद्रित रहा। वैश्विक ऋण के मूल्य की लगभग 90% चूक चौदह देशों द्वारा की गई (चार्ट 1)।

तालिका 2: ऋणदाता के कुल ऋण में से चूक वाले ऋणों में संप्रभु ऋण (बिलियन यूएस डॉलर)

ऋणदाता	2019	2020	2021	2022	2023	2023 में हिस्सा (%)
आईएमएफ	2.0	2.1	1.3	0.0	0.0	-
आईबीआरडी	1.0	1.0	1.0	1.2	1.4	0.3
आईडीए	1.8	1.9	1.6	0.6	0.6	0.1
आईएडीबी	2.2	2.2	2.3	2.4	2.5	0.5
बहुपक्षीय ऋणदाता	7.0	7.2	6.3	4.2	4.5	0.9
पेरिस क्लब	43.6	48.6	50.4	78.3	78.5	15.0
चीन	19.4	46.1	35.8	39.0	49.8	9.5
अन्य आधिकारिक ऋणदाता	57.2	62.7	68.1	81.4	82.2	15.7
द्विपक्षीय ऋणदाता	120.3	157.4	154.3	198.6	210.5	40.2
विदेशी मुद्रा बैंक ऋण	15.2	15.6	15.4	18.0	22.8	4.4
विदेशी मुद्रा बॉन्ड	102.5	224.1	148.2	251.5	227.5	43.5
अन्य निजी ऋणदाता	33.7	24.1	34.3	41.7	31.7	6.0
स्थानीय मुद्रा ऋण	4.4	5.4	0.4	16.2	26.6	5.1
ऋणदाता के कुल ऋण में से चूक वाले ऋण	283.0	433.9	358.9	530.1	523.5	100.0

नोटः अन्य आधिकारिक ऋणदाताओं में गैर–पेरिस क्लब जी20 ऋणदाता (जैसे भारत, सऊदी अरब) और अन्य सरकारी विकास एजेंसियां शामिल हैं। निजी ऋणदाताओं से तात्पर्य बाहरी बॉन्डधारकों, बैंकों और आपूर्तिकर्ताओं से है।

चार्ट 1: 2023 में देश–वार संप्रभु चूक

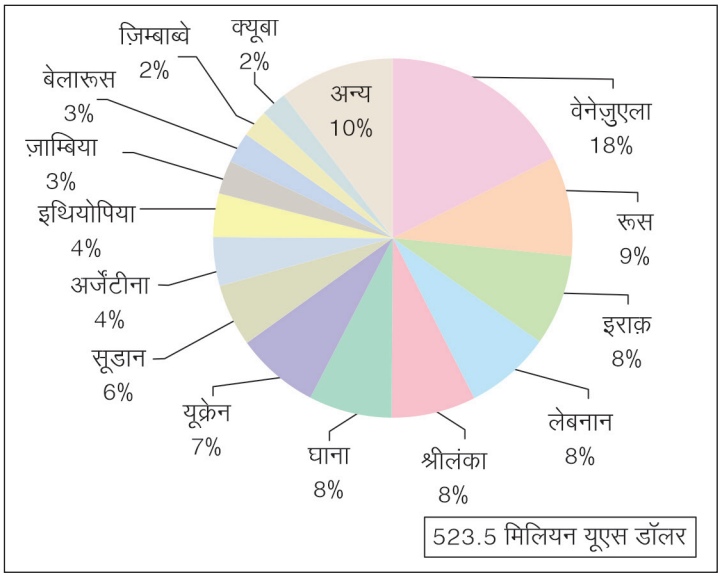

निष्कर्ष

दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों द्वारा 2022 से ब्याज दरों में वृद्धि का सार्वजनिक बजटों पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है। विकासशील देशों में देय ब्याज न केवल तेजी से बढ़ रहा है, बल्कि इसकी वृद्धि दर स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक व्यय में वृद्धि से भी अधिक है। परिणामस्वरूप, विकासशील देशों में ब्याज भुगतान पर व्यय बढ़ रहा है। मध्यम अवधि में वैश्विक सार्वजनिक ऋण भार में वृद्धि जारी रहने की उम्मीद है। यह वृद्धि आंशिक रूप से उच्च नॉमिनल ब्याज दरों और ऋण चुकौती संबंधी भुगतान के चलते जारी रहेगी। ■

सेवाओं में व्यापार संबंधी सामान्य करार

– **सारा जॉय,** *मुख्य प्रबंधक*
अल्फिया अंसारी, *उप प्रबंधक*

सेवाओं में व्यापार संबंधी सामान्य करार (जीएटीएस) वस्तुतः सेवाओं (वित्तीय सेवाओं सहित कुछ औद्योगिक क्षेत्रगत अनुबंधों सहित) में अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए एक फ्रेमवर्क करार है। यह विश्व व्यापार संगठन की संकल्पना वाले 1994 के माराकेश करार का अभिन्न हिस्सा है। भारत ने उरुग्वे दौर की वार्ताओं के समापन चरण में जीएटीएस की संकल्पना और उसे मूर्त रूप देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत के लिए जीएटीएस का महत्त्व इस तथ्य से समझा जा सकता है कि उरुग्वे दौर की वार्ता के दौरान सेवाओं में व्यापार पर जितने प्रस्तावों पर चर्चा की जा रही थी, उनमें से 44% (95 में से 42) केवल चार प्रतिनिधिमंडलों–अमेरिका, यूरोपीय समुदाय, ब्राजील और भारत द्वारा रखे गए थे। जीएटीएस के अंतिम टेक्स्ट में विकासशील देशों की बढ़ी हुई भागीदारी (अनुच्छेद IV) और प्रगतिशील उदारीकरण (अनुच्छेद XIX) पर भारत के योगदान से 1995 के बाद सेवाओं में बढ़ते वैश्विक व्यापार में विकासशील देशों की सक्रिय भागीदारी हो सकी।

1995 से लागू जीएटीएस, बहुपक्षीय आधार पर सेवाओं को कवर करने वाला पहला व्यापार करार था। इसे डब्ल्यूटीओ सदस्य देशों द्वारा सेवा व्यापार पर लागू किए जाने वाले कानूनों और विनियमों में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया था। इसका प्रमुख बाजार–ओपनिंग तत्व विशिष्ट प्रतिबद्धताओं की अनुसूची है, जिससे जीएटीएस के प्रत्येक हस्ताक्षरकर्ता इस करार के अभिन्न अंग के रूप में संबद्ध होता है। इन अनुसूचियों में, हस्ताक्षरकर्ताओं ने यह चिह्नित किया है कि वे विशिष्ट सेवा क्षेत्रों में किस हद तक पूर्ण बाजार पहुंच और राष्ट्रीय ट्रीटमेंट प्रदान करेंगे।

जीएटीएस उन क्षेत्रों और उप–क्षेत्रों में प्रतिबद्धता करने वाले सदस्यों के लिए सकारात्मक सूची या बॉटम–अप दृष्टिकोण अपनाता है, जिन्हें वे एक अनुसूची में निर्दिष्ट करते हैं। इसका मतलब यह है कि सदस्य निर्दिष्ट क्षेत्रों और उप–क्षेत्रों में सेवा व्यापार को उदार बनाने और बाजार पहुंच प्रदान करने की प्रतिबद्धताओं को स्वीकार करने पर सहमत हैं।

सूचीबद्ध प्रत्येक सेवा क्षेत्र या उप–क्षेत्र के लिए, अनुसूची में आपूर्ति के चारों तरीकों के संबंध में, बाजार पहुंच या राष्ट्रीय व्यवहार पर कुछ सीमाएं निर्धारित हैं, जिन्हें बनाए रखना जरूरी है। इसलिए प्रतिबद्धता आपूर्ति के प्रत्येक तरीके के संबंध में बाजार पहुंच या राष्ट्रीय व्यवहार सीमाओं की उपस्थिति या अनुपस्थिति को दर्शाती है।

अनुसूची के मानक प्रारूप में पहले कॉलम में वह क्षेत्र या उप–क्षेत्र शामिल है, जो प्रतिबद्धता का विषय है; दूसरे कॉलम में बाजार पहुंच से संबंधित सीमाएं होती हैं और तीसरे कॉलम में राष्ट्रीय व्यवहार से संबंधित सीमाएं होती हैं। चौथे कॉलम में, सरकारें कोई भी अतिरिक्त प्रतिबद्धताएं दर्ज कर सकती हैं, जो बाजार पहुंच या राष्ट्रीय व्यवहार के तहत अनुसूची के अधीन नहीं हैं। प्रतिबद्धताओं को सामान्यतया दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है: (1) "कोई नहीं", जिसका अर्थ है कि किसी दिए गए आपूर्ति या क्षेत्र के लिए बाजार पहुंच या राष्ट्रीय व्यवहार पर कोई प्रतिबंध लागू नहीं होता है, और (2) "अनबाउंड", कोई देश बाजार पहुंच या राष्ट्रीय व्यवहार प्रदान करने के लिए कोई प्रतिबद्धता नहीं बनाना चाहता था।

उदाहरण के लिए, अनुसूची में शामिल सभी औद्योगिक क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय व्यवहार की सीमाओं के तहत भारत ने प्रतिबद्धता जताई है कि संयुक्त उद्यम भागीदारों के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों या सरकारी उपक्रमों को सहयोग के मामले में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए सर्वोत्तम शर्तों की पेशकश करने वाले विदेशी सेवा आपूर्तिकर्ताओं/संस्थाओं को वरीयता दी जाएगी।

तथापि, ये अनुसूचियां सेवा व्यापार को उदार बनाने की जटिल प्रक्रिया में केवल पहला कदम थीं और कई देश बाजार पहुंच और राष्ट्रीय व्यवहार दोनों पर सीमाएं और शर्तें लगाना जारी रखते हैं। ये प्रतिबंध प्रत्येक देश की अनुसूची में निर्दिष्ट हैं। जीएटीएस के तहत होने वाली सतत सेवा वार्ताओं का उद्देश्य इन बाधाओं और शर्तों को दूर करना है।

हाल ही में अबू धाबी में आयोजित 13वें डब्ल्यूटीओ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (एमसी13) में सेवाओं के घरेलू विनियमन पर नई व्यवस्थाएं लागू की गई। इससे दुनिया भर में व्यापार लागत में 125 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक की कमी आने की उम्मीद है। ये व्यवस्थाएं लाइसेंसिंग आवश्यकताओं एवं प्रक्रियाओं, योग्यता आवश्यकताओं और प्रक्रियाओं तथा तकनीकी मानकों से संबंधित उपायों के अनपेक्षित व्यापार–प्रतिबंधात्मक प्रभावों को कम करने का प्रयास करती हैं। यह विनियामकीय परिवेश को व्यवसाय के लिए अधिक अनुकूल बनाने का प्रयास करता है और विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के साथ–साथ महिला उद्यमियों की मदद कर सकता है। डब्ल्यूटीओ करार में सेवाओं की आपूर्ति के लिए परमिट मांगने पर पुरुषों और महिलाओं के बीच भेदभाव न करने की पहली प्रतिबद्धता शामिल है।

जीएटीएस – दायरा और कवरेज

जीएटीएस में सरकार द्वारा गैर–वाणिज्यिक आधार पर प्रदान की जाने वाली सेवाओं (जैसे केंद्रीय बैंकिंग या सामाजिक सुरक्षा) को छोड़कर शेष सभी सेवाएं कवर की जाती हैं । जीएटीएस न केवल अन्य देशों में उपभोक्ताओं के लिए सीमा पार सेवाओं के प्रावधान पर लागू होता है, बल्कि विदेशी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा देशों के भीतर सेवाओं के प्रावधान पर भी लागू होता है।

जीएटीएस में, सेवाओं की आपूर्ति को ट्रांज़ैक्शन के समय आपूर्ति और उपभोक्ता के स्थान के आधार पर परिभाषित किया जाता है। जीएटीएस सेवाओं में व्यापार को आपूर्ति के चार तरीकों के जरिए सेवा की आपूर्ति के रूप में परिभाषित किया गया है: सीमा पार व्यापार, विदेशों में खपत, वाणिज्यिक उपस्थिति और मूल व्यक्तियों (नैचरल पर्सन) की उपस्थिति।

मोड 1: एक डब्ल्यूटीओ सदस्य देश के क्षेत्र से किसी दूसरे क्षेत्र में सीमा पार आपूर्ति (उदाहरण के लिए, भारत में किसी वास्तुकार द्वारा अमेरिका में किसी ग्राहक को योजनाएं भेजना)। इसकी परिभाषा के अनुसार सेवा का उपभोग करते समय आपूर्तिकर्ता और उपभोक्ता दोनों अपने–अपने क्षेत्र में रहते हैं;

मोड 2: विदेश में उपभोग, एक सदस्य के क्षेत्र में किसी अन्य सदस्य के सेवा उपभोक्ता को सेवा की आपूर्ति की जाती है (उदाहरण के लिए, भारत में छुट्टियां मना रहा कोई ऑस्ट्रेलियाई पर्यटक, या स्वास्थ्य सेवाओं के सिलसिले में भारत आने वाला कोई बांग्लादेशी नागरिक);

मोड 3: वाणिज्यिक उपस्थिति – किसी सेवा की आपूर्ति के माध्यम से "एक सदस्य के सेवा आपूर्तिकर्ता द्वारा, किसी अन्य सदस्य के क्षेत्र में वाणिज्यिक उपस्थिति के माध्यम से" (उदाहरण के लिए, दक्षिण अफ्रीका में किसी भारतीय बैंक की शाखा स्थानीय उद्यमियों को ऋण प्रदान करती है); तथा

मोड 4: किसी अन्य देश में सीमित अवधि के लिए मूल व्यक्तियों की उपस्थिति (उदाहरण के लिए, एक भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी का प्रतिनिधि एक महीने तक अमेरिका में रहकर अमेरिकी कंपनी के कंप्यूटरों पर फर्म के उत्पाद स्थापित करता है)।

सेवाओं की अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति का यह विस्तारित आयाम, व्यापार नीति के परिप्रेक्ष्य से बहुत मायने रखता है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सेवाओं की आपूर्ति के चार तरीकों के बीच बाजार पहुंच की स्थितियां अलग–अलग होती हैं।

जीएटीएस के तहत दायित्व

जीएटीएस में निहित दायित्वों को दो व्यापक समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है: सामान्य दायित्व जो सभी सदस्यों और सेवा क्षेत्रों पर लागू होते हैं, साथ ही वे दायित्व जो केवल सदस्य देश की प्रतिबद्धताओं की अनुसूची में अंकित क्षेत्रों पर लागू होते हैं।

(क) सामान्य दायित्व

तरजीही राष्ट्र का दर्जा (अनुच्छेद II): जीएटीएस के अनुच्छेद II के तहत, सदस्यों को तरजीही राष्ट्र (MFN) का दर्जा दिया जाता है। इसका उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि किसी विदेशी बाजार में कानूनी रूप से स्थापित और अधिकृत फर्मों को वही दर्जा मिले, जो तरजीही राष्ट्र का दर्जा प्राप्त देश को दिया जाता है। इसका अर्थ "ऐसे व्यवहार से है जो किसी भी अन्य देश की सेवाओं और सेवा आपूर्तिकर्ताओं के साथ किए जाने वाले व्यवहार से कमतर न हो।" राष्ट्रीय व्यवहार और बाज़ार पहुंच प्रतिबद्धताओं के विपरीत, जो केवल तभी लागू होती हैं जब किसी देश ने उन्हें औपचारिक रूप से अपनाया हो, एमएफएन प्रतिबद्धता जीएटीएस में एक सामान्य दायित्व है। उदाहरण के लिए, यदि डब्ल्यूटीओ के किसी सदस्य देश ने लेखांकन सेवाओं पर कोई विशिष्ट प्रतिबद्धता नहीं जताई है, तो वह देश इस उप–क्षेत्र में ऐसे किसी भी प्रतिबंध को बनाए रख सकता है या लागू कर सकता है, जिसे वह आवश्यक समझता हो। तथापि, यदि कोई देश किसी अन्य देश से लेखांकन सेवाओं के प्रावधान के संबंध में प्रतिबंध हटाता है, तो उसे अनुच्छेद II के आधार पर सभी सदस्यों के लिए इसे हटाना होगा।

इसके अलावा, जीएटीएस के जरिए सदस्यों के समूह आर्थिक एकीकरण करार कर सकते हैं या पारस्परिक सहमति से विनियामकीय मानक बना सकते हैं और कतिपय शर्तें पूरी किए जाने पर विनियामकीय मानकों को प्रमाणित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, "आर्थिक एकीकरण" शीर्षक वाला जीएटीएस का अनुच्छेद V तरजीही व्यापार व्यवस्था अपनाने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्यों पर शर्तें लगाता है। इसी तरह, जीएटीएस के अनुच्छेद VII में डब्ल्यूटीओ सदस्यों को शिक्षा या प्राप्त अनुभव, पूरी की गई आवश्यकताओं, या दिए गए लाइसेंस या प्रमाण पत्र के संबंध में आपसी मान्यता करार करने के भी प्रावधान हैं।

(ख) विशिष्ट प्रतिबद्धताएं

बाजार पहुंच (अनुच्छेद XVI): बाजार पहुंच प्रतिबद्धताओं का उपयोग स्थानीय कॉन्ट्रैक्ट, रोजगार या आउटपुट, आर्थिक आवश्यकताओं के परीक्षण या किसी बाजार में सेवाओं के प्रावधान के लिए अधिकृत संस्थाओं को स्थापित करने के अधिकार से जुड़ी स्थानीय स्वामित्व आवश्यकताओं के संबंध में कोटा या कैप के उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए किया जा सकता है। प्रतिबंधित उपायों की सूची जीएटीएस अनुच्छेद XVI की शर्तों पर आधारित होनी चाहिए, लेकिन आवश्यकतानुसार इसे अनुकूलित और परिष्कृत किया जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी प्रकार के परीक्षण, कैप या कोटा और उपाय स्थानीय बाजारों में भाग लेने वाली विदेशी फर्मों पर वस्तुतः जांच के रूप में कार्य न करें।

राष्ट्रीय व्यवहार (अनुच्छेद XVII): राष्ट्रीय व्यवहार प्रतिबद्धताओं का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जा सकता है कि पर्यवेक्षण या किसी अन्य विनियामकीय व्यवहार में विदेशी फर्मों के साथ समान प्रकार और समान प्रोफाइल की स्थानीय फर्मों से भिन्न व्यवहार न किया जाए। मुख्य आवश्यकता यह है कि प्रतिस्पर्धा की शर्तों को कानून या तथ्य के आधार पर सदस्य के अपने सेवा उद्योग के पक्ष में संशोधित न किया जाए। उदाहरण के लिए, यदि दृश्य–श्रव्य (ऑडियो–विज़ुअल) सेवाओं के घरेलू आपूर्तिकर्ताओं को राष्ट्रीय क्षेत्र के भीतर प्रसारण के लिए आवृत्तियों के आवंटन में वरीयता दी जाती है, तो यह सेवा आपूर्तिकर्ता के मूल स्थान के आधार पर स्पष्ट रूप से भेदभाव होगा।

तथापि, किसी विशेष क्षेत्र में राष्ट्रीय व्यवहार का विस्तार शर्तों और योग्यताओं के अधीन किया जा सकता है (उदाहरण के लिए, विदेशी कंप्यूटर प्रोफेशनल पर अतिरिक्त शर्तें या आवश्यकताएं लगाकर)। बैंकिंग क्षेत्र में, भारत की प्रतिबद्धता में कहा गया है कि विदेशी बैंकों को स्थानीय सलाहकार बोर्ड का गठन करना आवश्यक है, जिसमें अन्य के साथ–साथ लघु उद्योग और निर्यात जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाले प्रोफेशनल और व्यक्ति शामिल हों। बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की मंजूरी आवश्यक है। राष्ट्रीय व्यवहार से विचलन को देश की प्रतिबद्धताओं की अनुसूची में सूचीबद्ध और शामिल किया जाना चाहिए।

सदस्य देश औद्योगिक क्षेत्र कवरेज और ऐसी प्रतिबद्धताओं के मूल कंटेंट को अपनी इच्छानुसार तैयार करने के लिए स्वतंत्र हैं। इस प्रकार प्रतिबद्धताएं समग्र और व्यक्तिगत क्षेत्रों में राष्ट्रीय नीतिगत उद्देश्यों और बाधाओं को दर्शाती हैं। जबकि कुछ सदस्यों ने काफी कम सेवाएं निर्धारित की हैं, अन्य ने कुल 160 में से 120 से अधिक सेवाओं में बाजार पहुंच और राष्ट्रीय व्यवहार व्यवस्थाओं को अपनाया है।

विशिष्ट प्रतिबद्धताएं अन्य के साथ–साथ, व्यापार पर उल्लेखनीय प्रभाव डालने वाले नए उपायों की अधिसूचना और अंतरराष्ट्रीय भुगतानों एवं हस्तांतरणों पर प्रतिबंधों से बचने संबंधी दायित्वों का प्रावधान करती हैं। ■

सहयोग का नया युग: ईएफटीए के साथ भारत के संबंध

– **सारा जॉय,** *मुख्य प्रबंधक*
सिद्धार्थ नेमा, *उप प्रबंधक*

यूरोपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र (ईएफटीए) की स्थापना स्टॉकहोम कन्वेंशन के जरिए 4 जनवरी, 1960 को की गई थी। ईएफटीए की स्थापना सात देशों, नामतः ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, नॉर्वे, पुर्तगाल, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड और यूके द्वारा की गई थी। आइसलैंड और लिकटेस्टाइन क्रमशः 1970 और 1991 में ईएफटीए में शामिल हुए। डेनमार्क, यूके, पुर्तगाल, ऑस्ट्रिया और स्वीडन ने 1973 और 1995 के बीच यूरोपीय संघ (ईयू) में शामिल होने के लिए ईएफटीए से बाहर निकल गए।

2023 में, भारत और ईएफटीए का संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) लगभग 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर का रहा। भारत का जीडीपी ईएफटीए के जीडीपी से 2.5 गुना अधिक रहा। भारत की जनसंख्या ईएफटीए की तुलना में अधिक है, जो वस्तु और सेवाओं के लिए बड़ा बाजार है।

ईएफटीए को भारत का निर्यात 2022 के 1.8 बिलियन यूएस डॉलर की तुलना में 2023 में मामूली रूप में बढ़कर 1.9 बिलियन यूएस डॉलर का रहा। वर्ष 2023 में, ईएफटीए से भारत का आयात 17.3 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 20.4 बिलियन यूएस डॉलर का रहा, जिसका मुख्य कारण स्विट्जरलैंड से सोने के आयात में 23.7% की वृद्धि और नॉर्वे से कच्चे तेल के आयात में 44.7% की गिरावट रही। भारत को लंबे समय से ईएफटीए के साथ व्यापार घाटे का सामना करना पड़ रहा है। यह घाटा 2014 के 20.6 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 2021 में 29.9 बिलियन यूएस डॉलर का हो गया। आयात में तीव्र गिरावट के कारण 2023 में व्यापार घाटा घटकर 18.5 बिलियन यूएस डॉलर का रह गया।

ईएफटीए सदस्यों में, स्विट्जरलैंड 2023 में क्रमशः 1.4 बिलियन यूएस डॉलर और 19.6 बिलियन यूएस डॉलर के निर्यात और आयात के साथ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रहा। वर्ष 2023 में ईएफटीए के साथ भारत के कुल व्यापार में स्विट्ज़रलैंड का हिस्सा 94.3% का रहा। इस अवधि में ईएफटीए के साथ भारत के कुल व्यापार में स्विट्ज़रलैंड के बाद नॉर्वे की हिस्सेदारी 5.7% की रही।

वर्ष 2023 में, भारत ईएफटीए के लिए 10वां सबसे बड़ा आयातक और 29वां सबसे बड़ा निर्यातक रहा। भारत और ईएफटीए के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं।

अप्रयुक्त क्षमता को भुनाने के लिए, भारत और ईएफटीए ने 16 वर्षों में औपचारिक दौर की 21 वार्ताओं के बाद 10 मार्च, 2024 को व्यापार और आर्थिक साझेदारी करार (टीईपीए) पर हस्ताक्षर किए।

भारत–EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी करार

करार के 14 अध्याय हैं। इनमें मुख्य रूप से वस्तुओं से संबंधित बाजार पहुंच, उत्पत्ति के नियमों, व्यापार सुगमीकरण, व्यापार समाधान, सैनिटरी और फायटोसैनिटरी उपायों, व्यापार में तकनीकी बाधाओं, निवेश संवर्धन, सेवाओं के संबंध में बाजार पहुंच, बौद्धिक संपदा अधिकार, व्यापार और संपोषी विकास तथा अन्य कानूनी और हॉरिज़ॉन्टल प्रावधानों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

टीईपीए के अंतर्गत प्रमुख प्रतिबद्धताएं

- ईएफटीए ने अगले 15 वर्षों में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 100 बिलियन यूएस डॉलर तक बढ़ाने तथा इसके माध्यम से 1 मिलियन प्रत्यक्ष रोजगार के अवसरों का सृजन करने के उद्देश्य से निवेश को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता जताई है। इसमें विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) शामिल नहीं हैं, जो संभावित निवेशों की स्थायी प्रकृति को दर्शाता है।
- मुक्त व्यापार करारों के इतिहास में पहली बार, टीईपीए में लक्ष्य-उन्मुख निवेश को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसरों के सृजन के बारे में कानूनी प्रतिबद्धता शामिल है। कानूनी पहलू के बारीक मूल्यांकन से पता चलता है कि निवेश और नौकरियों की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए दो शर्तों को पूरा करना होगाः एक भारत 9.5% की तीव्र दर से विकास करे, और भारत में ईएफटीए निवेश पर 15 साल की समयावधि में प्रतिवर्ष 16% से अधिक का प्रतिलाभ हो। यदि ऐसा नहीं हुआ तो दोनों पक्ष अपने लक्ष्यों को कम कर सकते हैं। यदि भारत इससे संतुष्ट नहीं होता है, तो भारत के पास यह विकल्प होगा कि वह 18 वर्षों के बाद अपनी टैरिफ रियायतें आनुपातिक तरीके से वापस ले सकता है।
- निवेश अध्याय विवाद समाधान के अधीन नहीं है और कुल मिलाकर यह सकारात्मक इरादे को दर्शाता है, और इसके लाभ टीईपीए के प्रति निजी क्षेत्र की प्रतिक्रिया पर निर्भर होंगे।
- ईएफटीए ने अपनी 92.2% टैरिफ लाइनों की पेशकश की है, जो भारत के 99.6% निर्यात को कवर करती हैं। ईएफटीए के इस बाजार पहुंच प्रस्ताव में 100% गैर-कृषि उत्पादों और प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों (पीएपी) पर टैरिफ में रियायत शामिल है।
- भारत ने अपनी 82.7% टैरिफ लाइनों की पेशकश की है, जो भारत को ईएफटीए के औद्योगिक निर्यातों (सोना को छोड़कर) का 95.3% है। सोने पर प्रभावी शुल्क अपरिवर्तित रहा है। स्विट्जरलैंड को भी दस साल तक की परिवर्तन अवधि के बाद चयनित कृषि उत्पादों के लिए भारतीय बाजार में टैरिफ-मुक्त पहुंच मिलेगी।
- भारत के लिए डेयरी, सोया, कोयला और संवेदनशील कृषि उत्पादों जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों को एक्सक्लूज़न लिस्ट में रखा गया है।
- सेवा क्षेत्र में, भारत ने ईएफटीए को 105 उप-क्षेत्रों की पेशकश की है तथा स्विट्जरलैंड से 128 उप-क्षेत्रों, नॉर्वे से 114, लिकटेंस्टीन से 107 तथा आइसलैंड से 110 उप-क्षेत्रों में प्रतिबद्धताएं प्राप्त की हैं।
- ईएफटीए की ओर से प्रदान की जाने वाली सेवाओं में सेवाओं की डिजिटल डिलीवरी (मोड 1), वाणिज्यिक उपस्थिति (मोड 3) और प्रमुख कर्मियों के प्रवेश और अस्थायी प्रवास के लिए बेहतर प्रतिबद्धताओं और निश्चितता (मोड 4) के माध्यम से बेहतर पहुंच शामिल है।
- टीईपीए में अन्य बातों के साथ-साथ नर्सिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट्स जैसी व्यावसायिक सेवाओं में पारस्परिक मान्यता करार का प्रावधान है।

- जेनेरिक दवाओं में भारत के हितों और पेटेंट के स्थायीत्व से जुड़ी चिंताओं का पूरी तरह से समाधान किया गया है।

टीईपीए के अंतर्गत कानूनी प्रावधान

- टीईपीए के अंतर्गत, कम टैरिफ के साथ तरजीही व्यापार के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु किसी उत्पाद को निम्नलिखित मूल मानदंडों में से कम से कम एक को पूरा करना होगा:
  - ➢ उत्पाद पूरी तरह से दोनों पक्षों में से एक (भारत/ईएफटीए) में पाया गया है।

  या

  - ➢ उस उत्पाद की प्रक्रिया या प्रसंस्करण में प्रयुक्त गैर-उत्पत्ति सामग्री का किसी एक पक्ष द्वारा पर्याप्त प्रक्रिया या प्रसंस्करण किया गया है।
- उत्पादों की तरजीही उत्पत्ति की पुष्टि मूल के प्रमाण द्वारा की जानी चाहिए। इस उद्देश्य के लिए, करार के पक्षकारों के पास अलग-अलग विकल्प हैं:
  - ➢ ईएफटीए देश या भारत में स्थापित अनुमोदित निर्यातक द्वारा पूर्ण किया गया मूल घोषणापत्र।
  - ➢ ईएफटीए राज्य के सीमा शुल्क प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया एक मूवमेंट प्रमाणपत्र ईयूआर.1।
  - ➢ भारतीय निर्यातक नामित भारतीय प्राधिकारी द्वारा जारी या मूल प्रक्रिया की स्व-घोषणा के तहत जारी किए गए 9ईएफटीए-इंडिया सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन" का उपयोग कर सकते हैं।

भारत-ईएफटीए टीईपीए के अंतर्गत परिकल्पित लाभ और संभावनाएं

- टीईपीए के माध्यम से संभावित निवेश से अवसंरचना, विनिर्माण, फार्मासूटिकल, रसायन और खाद्य प्रसंस्करण सहित विभिन्न क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने से "मेक इन इंडिया" और आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्यों के पूरा होने की उम्मीद है।
- चिकित्सा उपकरणों और फार्मासूटिकल जैसे क्षेत्रों में स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने के भारत के प्रयासों के बावजूद, इसमें वृद्धि की गुंजाइश है। संयुक्त उद्यमों में ईएफटीए की गहरी रुचि से भारत के लिए चीन से आयात पर अपनी निर्भरता कम करने के अवसर बनेंगे। तथापि डेटा विशिष्टता जैसी कुछ शर्तें करार का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन फार्मासूटिकल और चिकित्सा उपकरण दोनों क्षेत्रों को इससे काफी लाभ होगा, जिससे ईएफटीए और भारत दोनों को अपनी आयात विविधीकरण रणनीतियां बनाने में योगदान मिलेगा।
- टीईपीए के अंतर्गत बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) प्रतिबद्धताएं ट्रिप्स (टीआरआईपीएस) मानकों के अनुरूप हैं, जो आईपीआर संरक्षण के प्रति उच्च स्तर की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। विशेष रूप से अपने कड़े आईपीआर मानकों के लिए प्रसिद्ध स्विट्जरलैंड के साथ आईपीआर अध्याय भारत की आईपीआर व्यवस्था की सुदृढ़ता को रेखांकित करता है।
- सेवा क्षेत्र में, टीईपीए से भारत को ईएफटीए के माध्यम से यूरोपीय संघ के बाजारों में एकीकृत करने की उल्लेखनीय संभावनाएं बनती है। स्विट्जरलैंड का 40% से अधिक वैश्विक सेवा निर्यात यूरोपीय संघ को है, इससे स्विट्जरलैंड अपनी बाजार पहुंच के विस्तार की इच्छुक भारतीय कंपनियों के लिए एक रणनीतिक प्रवेश द्वार के रूप में कार्य कर सकता है।
- टीईपीए के बाद ईएफटीए और भारत के बीच सेवाओं में द्विपक्षीय व्यापार से काफी लाभ हो सकता है। मोड 1 और मोड 4 के संबंध में, इस करार के तहत प्रतिबद्धता के भारत के लिए ईएफटीए में व्यापक बाजार पहुंच हासिल करने हेतु एक माध्यम के रूप में उभरने की संभावना है, खासकर केपीओ और बीपीओ जैसी मोड 1 श्रेणी की सेवाओं के लिए।
- मोड 1 आधारित सेवाओं में सीमा-पार व्यापार के क्रम में, मोड 4 के संबंध में बेहतर प्रतिबद्धताओं से सेवा प्रदाताओं के रूप में श्रमिकों की आवाजाही के माध्यम से सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं। इससे ईएफटीए के श्रम बाजार में इंजीनियरिंग, वास्तुकला और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में भारत के कुशल पेशेवरों की भागीदारी को बढ़ावा मिल सकता है तथा भारत में धन प्रेषण (रैमिटैंस) में वृद्धि हो सकती है।
- महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यों के साथ निवेश को बढ़ावा देने के लिए ईएफटीए की प्रतिबद्धता से नए क्षेत्रों में निवेश के अवसर मिलेंगे। इस निवेश से भारत और ईएफटीए दोनों पारस्परिक रूप से लाभान्वित होंगे, इससे ईएफटीए को भारत में लाभकारी निवेश का अवसर मिलेगा और साथ ही भारत की क्षमताओं में भी वृद्धि होगी। बढ़े हुए निवेश से बाजार का बेहतर एकीकरण होने के साथ ही कौशल और प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण भी सुगम होगा।

भारत और ईएफटीए के बीच आर्थिक संबंधों से आर्थिक सहयोग और पारस्परिक लाभ को बढ़ावा मिलने की काफी संभावनाएं हैं। व्यापार और आर्थिक संबंधों को बढ़ाने में दोनों पक्षों के साझा हित हैं, टीईपीए में सहयोग के लिए एक सुदृढ़ फ्रेमवर्क बनाने, आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने और भारत और ईएफटीए सदस्य देशों के पारस्परिक लाभ के लिए वस्तुओं और सेवाओं के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करने की संभावना है। दोनों पक्षों के लिए यह जरूरी है कि वे एक व्यापक और पारस्परिक रूप से लाभप्रद व्यापार और आर्थिक साझेदारी कायम करने के लिए सकारात्मक वार्ता जारी रखें।

संभावना

यह भारत और ईएफटीए के लिए व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ाने के लिए इस करार का लाभ उठाने और इस साझेदारी को अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ाने का उपयुक्त समय है। निम्नलिखित नीतिगत उपायों से द्विपक्षीय सहयोग को और बढ़ाया जा सकता है।

ईएफटीए के कड़े डेटा सुरक्षा मानकों को देखते हुए, भारत और ईएफटीए के बीच डेटा पर्याप्तता करार से डेटा प्रवाह बढ़ेगा और व्यापार संबंध सुदृढ़ होंगे। भारत-सिंगापुर यूपीआई-पेनाउ (UPI-PayNow) लिंक के समान, भारत और ईएफटीए के बीच भुगतान प्रणालियों को एकीकृत करने से अंतरराष्ट्रीय ट्रांज़ैक्शन सुगम होंगे। इससे व्यवसायों और उपभोक्ताओं को तीव्रतर और किफायती भुगतान प्रणाली मिलेगी।

ईएफटीए देश नवाचार में विश्व में अग्रणी हैं। इन देशों में नवीकरणीय ऊर्जा, जैव प्रौद्योगिकी और उन्नत विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में सहयोग के अपार अवसर हैं। ईएफटीए देशों की मजबूती अनुसंधान और विकास में है और भारत पारस्परिक आर्थिक विकास के लिए स्वास्थ्य विज्ञान, प्रीसिशन इंजीनियरिंग और अक्षय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में ईएफटीए की इस मजबूती का सदुपयोग कर सकता है।

स्विट्ज़रलैंड फार्मासूटिकल्स, बैंकिंग और नवाचार में आगे है, जबकि लिकटेंस्टाइन अनुसंधान एवं विकास-आधारित प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करता है। आइसलैंड की मछली पकड़ने की विशेषज्ञता से भारतीय मत्स्यपालन को लाभ हो सकता है और नॉर्वे की समुद्री प्रौद्योगिकी भारत की समुद्री क्षमता में सहायक हो सकती है। ग्रीन वॉयेज 2050 परियोजना और ग्रीन शिपबिल्डिंग पहलों पर सहयोग इसकी मिसाल हैं। ■

इंडिया एक्ज़िम बैंक की ऋण–व्यवस्थाएं

सौजन्य : **ऋण–व्यवस्था समूह**

भारत सरकार ने अन्य के साथ-साथ, विशेष रूप से विकासशील देशों के साथ भारत के व्यापार और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय वर्ष 2003-04 के आम बजट के जरिए भारत विकास पहल (आईडीआई) की शुरुआत की थी। इसे बाद में भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना (आइडियाज़) नाम दिया गया। इस योजना का उद्देश्य विदेश में भारत के रणनीतिक, राजनैतिक और आर्थिक हित को बढ़ावा देना है। इस संबंध में भारत विकासशील देशों के साथ क्षमता विकास और कौशल हस्तांतरण, व्यापार तथा बुनियादी ढांचे के विकास के जरिए अपने विकास अनुभव साझा करता है और इस तरह स्वयं को उभरती आर्थिक शक्ति और निवेशक देश और विकासशील देशों के लिए एक सहभागी के रूप में स्थापित करता है। बैंक पॉलिसी संस्था के रूप में इस "आइडियाज़" योजना के तहत दूसरे देशों को प्रदत्त ऋण-व्यवस्थाओं के लिए वित्तपोषण के माध्यम के रूप में काम करता है।

नवीनतम "आइडिया" दिशानिर्देश संशोधित किए गए हैं। ये 31 मार्च, 2022 से प्रभावी हैं। संशोधित "आइडिया" दिशानिर्देशों के तहत, भारत सरकार की रियायती वित्तपोषण योजना (सीएफएस) का विलय इस योजना में कर दिया गया है। इसमें भारत सरकार रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण विदेशी बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं के लिए बोली लगाने वाली भारतीय इकाइयों को सहयोग करने के लिए ऋण सहायता लेने वाली किसी भी सरकार या सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाली इकाई को रियायती वित्तपोषण प्रदान करती है। यह वित्त तब प्रदान किया जाता है, जब उक्त भारतीय इकाई ऐसी किसी विदेशी इकाई द्वारा टेंडर की गई परियोजना के निष्पादन का कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त कर लेती है। इस वित्तपोषण के लिए पात्र परियोजना का रणनीतिक महत्त्व भारत सरकार द्वारा मामले-वार आधार पर तय किया जाता है।

भारत सरकार द्वारा संप्रभु सरकारों या उनकी नामित एजेंसियों को दी जाने वाली ऋण–व्यवस्थाएं वित्तीय वर्ष 2003-04 से भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं। ऋण–व्यवस्थाएं भारतीय निर्यातकों को नए भौगोलिक क्षेत्रों में प्रवेश करने या मौजूदा निर्यात बाजारों में अपने व्यवसाय को बढ़ाने में सहायक हैं और वह भी विदेशी आयातकों से बिना किसी भुगतान जोखिम के। बैंक भारतीय निर्यातकों के लिए किसी बाजार में प्रवेश के एक प्रभावी माध्यम के साथ–साथ बाजार विविधीकरण के साधन के रूप में ऋण–व्यवस्थाएं प्रदान करने पर विशेष जोर देता है। ये ऋण–व्यवस्थाएं सहभागी देशों को बड़े पैमाने की और जटिल परियोजनाओं (भारत से परियोजना निर्यात) के लिए प्रदान की जा रही हैं।

एक्ज़िम बैंक, संप्रभु सरकारों, विदेशी वित्तीय संस्थाओं, क्षेत्रीय विकास बैंकों और नामित सरकारी विदेशी संस्थाओं को ऋण–व्यवस्थाएं (एलओसी) प्रदान करता है। ये ऋण–व्यवस्थाएं उन देशों में खरीदारों को भारत से विकास और बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं, उपकरणों, वस्तुओं और सेवाओं के आयात के लिए प्रदान की जाती हैं। ऋण–व्यवस्थाएं किसे दी जाएंगी, उसकी राशि, शर्तें और उसके उद्देश्य का निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया जाता है। वहीं, एक्ज़िम बैंक भारत सरकार के परिचालन माध्यम के रूप में इन ऋण-व्यवस्थाओं का वित्तपोषण, संचालन और निगरानी करता है।

एक्ज़िम बैंक इन ऋण-व्यवस्थाओं के तहत एफओबी/सीएफआर/सीआईएफ/सीआईपी आधार पर भारतीय निर्यातकों को कॉन्ट्रैक्ट मूल्य के 100% की प्रतिपूर्ति करता है, बशर्ते कि कुल कॉन्ट्रैक्ट मूल्य के कम से कम 75% (मामले–वार आधार पर 10% की छूट दी जा सकती है) माल एवं सेवाओं (परामर्शी सेवाओं सहित) का आयात भारत से किया गया हो। इन ऋण-व्यवस्थाओं के जरिए उभरते बाजारों में भारत की परियोजना निष्पादन क्षमता को प्रदर्शित करने में भी मदद मिली है। इसके अलावा इन ऋण-व्यवस्थाओं ने हाल के वर्षों में विशेष रूप से अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, ओशिआनिया और सीआईएस क्षेत्र के विकासशील देशों में गति पकड़ी है। इन ऋण-व्यवस्थाओं ने भारत के राजनैतिक, रणनीतिक और वाणिज्यिक हितों को बढ़ावा देने के साथ–साथ लाभार्थी देशों में भारत की राजनीतिक ख्याति और सद्भाव को बढ़ाने का भी काम किया है। साथ ही, ऋण-व्यवस्थाएं भारत की बढ़ती आर्थिक सुदृढ़ता के साथ-साथ प्राप्तकर्ता विकासशील देशों में बुनियादी ढांचागत विकास और क्षमता विकास में योगदान देने की भारत की प्रतिबद्धता को वैश्विक पटल पर लाने में भी मददगार हैं। भारतीय निर्यातक अपने माल के लिए एक्ज़िम बैंक से पात्र मूल्य हासिल कर सकते हैं और इसके लिए उन पर किसी तरह का रिकोर्स नहीं रहता। भारतीय निर्यातक माल के शिपमेंट पर एक्ज़िम बैंक के जरिए पूरा भुगतान ले सकते हैं और इसमें उन्हें क्रेता या क्रेता देश से जुड़े किसी तरह के जोखिम का सामना नहीं करना पड़ता।

बैंक द्वारा यथा 30 जून, 2024 को अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, ओशिआनिया और सीआईएस के 68 से अधिक देशों को 27.60 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक की ऋण प्रतिबद्धता के साथ 295 ऋण व्यवस्थाएं प्रदान की जा चुकी हैं, जो भारत से निर्यातों के वित्तपोषण के लिए उपलब्ध हैं। इस प्रकार, ऋण–व्यवस्थाएं भारत से परियोजनाओं, वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के संवर्धन एवं सुगमीकरण के लिए प्रभावी साधन हैं।

हस्ताक्षरित नई ऋण–व्यवस्थाएं

(i) 4 ऑफशोर पैट्रोल वेसेल्स (ओपीवी) के प्रोक्योरमेंट के लिए वियतनाम सरकार के साथ 180 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण–व्यवस्था।

(ii) हाई–स्पीड गार्ड नौकाओं के प्रोक्योरमेंट के लिए वियतनाम सरकार के साथ 120 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण–व्यवस्था।

उपरोक्त ऋण–व्यवस्था करारों का आदान–प्रदान 1 अगस्त, 2024 को भारत और वियतनाम के माननीय प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में किया गया।

विस्तृत जानकारी के लिए कृपया संपर्क कीजिए :

श्री संजय लांबा
उप महाप्रबंधक,
भारतीय निर्यात-आयात बैंक, ऑफिस ब्लॉक, टॉवर 1, 7वीं मंज़िल,
रिंग रोड के नजदीक, किदवई नगर (पूर्व)
नई दिल्ली-110023,
फोनः (011) 24607700
ईमेलः eximloc@eximbankindia.in

तिमाही गतिविधियां

सौजन्य : **कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन ग्रुप**

सुश्री दीपाली अग्रवाल ने एक्ज़िम बैंक की उप प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला

सुश्री दीपाली अग्रवाल ने एक्ज़िम बैंक की उप प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाल लिया है इससे पहले वह बैंक की मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में कार्यरत थीं। उन्हें पिछले 3 दशकों से बैंक के भारत तथा विदेश स्थित कार्यालयों में अलग-अलग भूमिकाओं में कार्य करने का अनुभव है। उन्होंने ट्रेजरी और अकाउंट्स, कॉर्पोरेट बैंकिग, परियोजना निर्यात, संचार और ब्रांड प्रबंधन, ग्रासरूट स्तर के उद्यमों का उत्थान, मानव संसाधन प्रबंधन और रिकवरी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हुए बैंक के लक्ष्यों को हासिल करने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। वह बैंक के पश्चिमी क्षेत्रीय प्रतिनिधि कार्यालय और सिंगापुर प्रतिनिधि कार्यालय की भी प्रमुख रही हैं।

एक्ज़िम बैंक ने भारत सरकार को अंतरित किया ₹252 करोड़ का लाभ शेष

भारतीय निर्यात-आयात बैंक की प्रबंध निदेशक, सुश्री हर्षा बंगारी ने माननीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन को 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के निवल लाभ के शेष के रूप में ₹252 करोड़ के ट्रांसफर की रसीद प्रस्तुत की।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, बैंक ने प्रमुख व्यावसायिक कार्यनिष्पादन पैरामीटरों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। यह वृद्धि भारत के व्यापार और निवेश तथा सहभागी देशों की विकास प्राथमिकताओं को सहायता प्रदान करने की बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, बैंक का निवल लाभ ₹2518 करोड़ का रहा, जिसमें गत वर्ष की तुलना में 62% की वृद्धि दर्ज की गई। गत पांच वर्षों में, बैंक ने निवल लाभ शेष के रूप में भारत सरकार को ₹519.34 करोड़ की राशि अंतरित की है। बैंक की चुकता पूंजी पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा अभिदत्त है।

इंडिया एक्ज़िम बैंक का पूर्वानुमान, वित्तीय वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में भारत का मर्चैंडाइज़ निर्यात 111.7 बिलियन यूएस डॉलर और गैर-तेल निर्यात 89.8 बिलियन यूएस डॉलर का रहेगा

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (इंडिया एक्ज़िम बैंक) ने वित्तीय वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही के लिए भारत के निर्यात पूर्वानुमान जारी कर दिए हैं। वित्तीय वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में, भारत के कुल मर्चैंडाइज़ निर्यात 111.7 बिलियन यूएस डॉलर और गैर-तेल निर्यात 89.8 बिलियन यूएस डॉलर के रहने का पूर्वानुमान है। मर्चैंडाइज निर्यात में जहां 4.2% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि का पूर्वानुमान है, तो वहीं गैर-तेल निर्यात में 6.26% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि का अनुमान भारत के निर्यातों में यह सकारात्मक वृद्धि, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में निरंतर तेजी बने रहने, संभावित वैश्विक मौद्रिक नरमी और व्यापारिक भागीदारों से मांग बढ़ने की संभावनाओं के चलते भारत की निरंतर सुदृढ़ आर्थिक गतिविधियों के परिणामस्वरूप हो सकती है। तथापि, यह परिदृश्य अन्य के साथ-साथ, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के संबंध में अनिश्चितताओं, भू-राजनीतिक झटकों, मध्य पूर्व संकट, वैश्विक आपूर्ति शृंखला व्यवधानों और गहराते भू-आर्थिक फ्रैग्मेंटेशन जैसे जोखिमों पर निर्भर करता है। निर्यातों में यह वृद्धि आगामी तिमाहियों में भी जारी रहने की उम्मीद है।

दुनिया में मशहूर यूपी की खुर्जा पॉटरी को मिली डिजिटल खूबसूरती

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (इंडिया एक्ज़िम बैंक) ने उत्तर प्रदेश से निर्यात बढ़ाने के लिए खुर्जा पॉटरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन नाम की संस्था को एक 3D डिज़ाइन स्टूडियो बनाने के लिए सहयोग प्रदान किया है। बैंक ने यह सहयोग विशेष रूप से छोटे उद्यमों के लिए बनाए गए अपने कार्यक्रम- "ग्रासरूट उद्यम विकास" के तहत प्रदान किया है। इसी साल, बैंक ने राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, अहमदाबाद के सहयोग से इस इस क्षेत्र के 25 मास्टर दस्तकारों के लिए खुर्जा में एक डिजाइन विकास कार्यशाला आयोजित की थी। इसका उद्देश्य खुर्जा में पॉटरी विनिर्माताओं और दस्तकारों को उन्नत डिजाइन कौशल और बेहतर तकनीकें सिखाकर उन्हें सशक्त बनाना है, ताकि उनके उत्पाद विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन सकें। खुर्जा में टेबलवेयर क्रॉकरी और तकनीकी सिरामिक उद्योग में लगभग 300 से अधिक विनिर्माण इकाइयां हैं, जो 30,000 से अधिक कुशल और नए श्रमिकों को रोजगार दे रही हैं।

इंडिया एक्ज़िम बैंक की प्रबंध निदेशक सुश्री हर्षा बंगारी ने इस 3D डिज़ाइन स्टूडियो का शुभारंभ किया। इस दौरान, केपीएमए के अध्यक्ष, श्री रवि राणा; केपीएमए के उपाध्यक्ष, श्री दर्शन छतवाल, केंद्रीय काँच एवं सिरामिक अनुसंधान केंद्र, खुर्जा केंद्र के प्रमुख और वैज्ञानिक, श्री सावन कुमार शर्मा; जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक, श्री आशुतोष सिंह और एक्ज़िम बैंक की उप प्रबंध निदेशक, सुश्री दीपाली अग्रवाल उपस्थित रहीं।

इंडिया एक्ज़िम बैंक ने व्यापार सुगमीकरण के लिए दक्षिण अफ्रीका के नेडबैंक लिमिटेड के साथ किया करार

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (इंडिया एक्ज़िम बैंक) ने जोहांसबर्ग स्थित दक्षिण अफ्रीका के नेडबैंक लिमिटेड के साथ एक मास्टर जोखिम प्रतिभागिता करार (एमआरपीए) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह करार इंडिया एक्ज़िम बैंक के व्यापार सहायता कार्यक्रम (टैप) के अंतर्गत ट्रेड ट्रांज़ैक्शनों को सहायता प्रदान करने के लिए किया गया। इस करार पर इंडिया एक्ज़िम बैंक की ओर से मुख्य महाप्रबंधक, श्री टी.डी. सिवाकुमार और नेडबैंक लिमिटेड की ओर से अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के डिवीज़नल एक्ज़ीक्यूटिव, श्री युद्धवीर हरीलाल ने हस्ताक्षर किए।

इंडिया एक्ज़िम बैंक अपने कार्यालयों के ग्लोबल नेटवर्क और विभिन्न वित्तीय, सलाहकारी तथा क्षमता विकास गतिविधियों के जरिए सहयोगी देशों के साथ भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक की भूमिका निभाता रहा है और भारतीय व्यवसायों के वैश्वीकरण प्रयासों में उनकी सहायता करता है।

इंडिया एक्ज़िम बैंक अपने इस `व्यापार सहायता कार्यक्रम' (टैप) अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय व्यापार ट्रांज़ैक्शन में सहयोग के लिए वाणिज्यिक बैंकों / वित्तीय संस्थाओं की क्षमता को बढ़ाता है। यह उन बाज़ारों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है, जहां व्यापार के लिए ऋण मिलने में दिक्कत आती है या जहां क्षमताओं का पूरी तरह उपयोग नहीं किया गया है। ■

विभिन्न देशों का आर्थिक परिदृश्य

सौजन्य: **शोध एवं विश्लेषण समूह**

बुर्किना फासो

बुर्किना फासो सोने के खनन और कृषि (कपास और पशुधन) पर आधारित, एक बंदरगाह विहीन पश्चिम अफ्रीकी अर्थव्यवस्था है। हाल में बुर्किना फासो राजनीतिक रूप से अस्थिर और बदलावों से भरा रहा है। यह अस्थिरता विशेष रूप से 2022 में लगातार दो सैन्य तख्तापलटों और क्षेत्र में हिंसा के कारण रही है। मौजूदा खदानों में सोने के उत्पादन में सुदृढ़ बढ़ोतरी के कारण बुर्किना फासो की वास्तविक जीडीपी वृद्धि 2023 की 3.6% से बढ़कर 2024 में 5.5% होने की उम्मीद है। 2024 में सोने का उत्पादन 7% बढ़ने की उम्मीद है (2022–23 में संयुक्त 14.3% की गिरावट के बाद)। खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों, तेल की बढ़ती कीमतों और सुदृढ़ वृद्धि के कारण 2024 में मुद्रास्फीति बढ़कर 2.1% होने की उम्मीद है। वैश्विक कमोडिटी कीमतों में गिरावट, मुद्रा मूल्य में वृद्धि और सुदृढ़ कृषि फसल के कारण, 2025 में मूल्य वृद्धि घटकर 2.0% हो जाने की संभावना है। 2024 में वृद्धि के बावजूद, वैश्विक तेल कीमतों के 2022 के उच्चतम स्तर की तुलना में काफी कम रहने की उम्मीद है, जिससे आयात व्यय में वृद्धि नियंत्रित हो सकती है। परिणामस्वरूप, चालू खाता घाटा 2023 के जीडीपी के 7.3% से घटकर 2024 में जीडीपी के 5.6% तक रहने की उम्मीद है।

बांग्लादेश

कोटा प्रणाली पर लंबे समय से चल रही नाराजगी के बीच, बहुचर्चित छात्र विरोध के चलते पूर्व पीएम शेख हसीना वाजेद को त्यागपत्र देने और देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। पूर्व में जेल में बंद नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस को 8 अगस्त को वर्तमान अंतरिम सरकार का "मुख्य सलाहकार" नियुक्त किया गया। हालिया राजनीतिक अशांति से बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को लगे मौजूदा झटकों को देखते हुए, 2024 में बांग्लादेश का वास्तविक जीडीपी 3.9% की दर से बढ़ने की उम्मीद है, जो श्रम व्यवधान और जीवनयापन की उच्च लागत के कारण 2023 की 5.7% से कम रहेगी। खाद्यान्न और ईंधन की ऊंची कीमतों तथा आयातित मुद्रास्फीति में वृद्धि के कारण 2024 में मुख्य मुद्रास्फीति औसतन 10.7% रहने की उम्मीद है। मई 2024 में क्रॉलिंग पेग को अपनाने के बाद, राजनीतिक अस्थिरता, अमेरिका में उच्च नीति दरों और चालू खाते में लगातार कमी के कारण 2024 के शेष समय में बांग्लादेशी टका का मूल्य एक यूएस डॉलर के मुकाबले 115.4 तक रहने की उम्मीद है। वर्ष 2024 के लिए चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 0.6% रहने का अनुमान है। अल्पावधि में, कट्टरपंथी इस्लामी समूहों के प्रभाव से छिटपुट हिंसा का खतरा पैदा हो सकता है, खासकर जब राज्य की क्षमता कमजोर बनी हुई है और यह मानवाधिकारों के हनन पर अंतरराष्ट्रीय चिंता को बढ़ा सकती है।

वेनेज़ुएला

वेनेज़ुएला मुख्य रूप से तेल उत्पादन पर निर्भर अर्थव्यवस्था है और इसमें विविधीकरण का अभाव है। यद्यपि इसके पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, लेकिन लगातार खराब होती लोकतांत्रिक व्यवस्था और भ्रष्टाचार, लचर सरकारी नेतृत्व वाले मॉडल के कारण इसकी अर्थव्यवस्था गंभीर संकट में है। तेल की ऊंची कीमतों के बावजूद वेनेज़ुएला भ्रष्टाचार और अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते अपनी आर्थिक स्थिरता के लिए इसका लाभ नहीं उठा पाएगा। वेनेज़ुएला का वास्तविक जीडीपी 2023 में 1.2% के संकुचन से उबरते हुए 2024 में 3.2% रहने की उम्मीद है। यह वृद्धि तेल उद्योग के लिए अस्थायी उम्मीद और अक्टूबर–अप्रैल में प्रतिबंधों में राहत से गैर–तेल क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव को दर्शाती है। इस वर्ष मुद्रास्फीति में गिरावट आई है और यह जुलाई 2023 की 398.2% की अत्यधिक उच्च दर की तुलना में जुलाई में घटकर 43.6% रह गई। (यह मुद्रा के निरंतर मूल्यह्रास में कमी को दर्शाती है। 2023 के अंत में बोलिवर का मूल्यह्रास कम हो गया और जुलाई में मध्यम होकर केवल 0.2% (2023 के मध्य में 5-10% प्रति माह की तुलना में) तक जारी रहा। जुलाई के अंत में एक यूएस डॉलर की तुलना में बोलिवर का मूल्य 36.6 रहा। चालू–खाता स्थिति ठीक रहने के बावजूद वेनेज़ुएला केंद्रीय बैंक के लिए नीतिगत कुप्रबंधन के चलते विदेशी मुद्रा भंडार का संचयन मुश्किल होगा।

जापानी

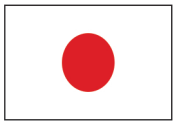

जापानी अर्थव्यवस्था के दबाव में रहने की आशंका है और 2024 में इसकी वृद्धि दर 0.5% रह सकती है, जो 2023 की 1.7% की दर से कम रहेगी। जापान एक बदतर जनसांख्यिकीय संकट से जूझ रहा है, जहां अनुमानतः 29.3% जनसंख्या बुजुर्गों की है, तथा कामकाजी आयु वर्ग के लोगों की संख्या घटती जा रही है। इससे बुजुर्गों के स्वास्थ्य और कल्याण पर होने वाले खर्च में वृद्धि हो रही है। 2024 के अंत तक यूएस डॉलर के मुकाबले जापानी येन के कमजोर रहने की संभावना है। बैंक ऑफ जापान के नीति सामान्यीकरण के बावजूद, जापान में ब्याज दरें इतनी कम रह सकती हैं कि द्विपक्षीय दर अंतर पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ेगा। 2024 के अंत तक एक यूएस डॉलर के मुकाबले जापानी येन का मूल्य 150 तक पहुंच सकता है, जो एक साल पहले 140.5 था। इसके अलावा, बढ़े हुए भूराजनीतिक तनाव और प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण ऊर्जा और खाद्य पदार्थों की कीमतें ऊंची रह सकती हैं और 2024 में उपभोक्ता कीमतों में औसतन 2.5% की वृद्धि होने की उम्मीद है। मशीनरी और ऑटोमोटिव क्षेत्रों के चलते जापान के निर्यातों में 2024 में 3.8% के चालू खाता अधिशेष के साथ एक सुदृढ़ वैश्विक स्थिति रह सकती है। विदेशी निवेशों से सुदृढ़ लाभ प्रत्यावर्तन और मध्यम वस्तु व्यापार घाटा इसका मुख्य कारण है। ■

मुद्रा की प्रवृत्तियां

सौजन्य : **ट्रेजरी एंड अकाउंट्स ग्रुप**

संयुक्त अरब अमीरात

Dh वर्ष 1973 में कतर और दुबई की मुद्रा अमीराती दिरहम (एईडी) कर दी गई। यह पहल तेल के बढ़ते निर्यात के कारण अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए की गई थी। प्रारंभ में इस मुद्रा का मूल्य एक यूएस डॉलर के मुकाबले 3.6725 एईडी आंका गया था।

तुर्की, सऊदी अरब और इज़रायल के बाद यूएई मध्य पूर्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसका औसत जीडीपी 2021–2023 में 415 बिलियन यूएस डॉलर (एईडी 1.83 ट्रिलियन) रहा। यूएई दिरहम वैश्विक वित्त में एक भंडारण मुद्रा के रूप में महत्त्वपूर्ण है और विदेशी मुद्रा व्यापार में इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। यूएस डॉलर के साथ इसकी स्थिर विनिमय दर से देश में आर्थिक स्थिरता बनाए रखने और विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने में मदद मिली है। खाड़ी क्षेत्र के अधिकांश केंद्रीय बैंकों ने अपनी बेंचमार्क ब्याज दरों में कटौती की। यह चार वर्षों में पहली बार है जब इन केंद्रीय बैंकों ने अमेरिकी फेडरल रिजर्व के साथ मिलकर दरें कम की हैं। यूएई सेंट्रल बैंक ने ओवरनाइट डिपॉजिट सुविधा के लिए अपनी आधार दर 50 आधार अंक घटाकर 4.90% कर दी। इसने अल्पावधि लिक्विडिटी ऋण के लिए लागू ब्याज दर को तमाम स्थायी ऋण सुविधाओं के लिए लागू आधार दर से 50 आधार अंक ऊपर बनाए रखा।

26 सितंबर, 2024 को एक डॉलर के मुकाबले एईडी 3.67 पर बंद हुआ।

ईरानी रियाल

IR ईरानी रियाल विश्व की सबसे कमजोर मुद्रा है। 1945 में, रियाल का मूल्य 1 यूएस डॉलर के मुकाबले 32.25 रियाल आंका गया था। 1957 में 1 यूएसडी 75.75 रियाल के बराबर था। ईरान ने 1973 में डॉलर के अवमूल्यन के मुताबिक अपनी मुद्रा का अवमूल्यन नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप, 1 यूएसडी के मुकाबले रियाल का मूल्य 68.725 हो गया था। फिर 1975 में डॉलर के मुकाबले इसका मूल्य गिर गया। इस्लामिक क्रांति के बाद देश से पूंजी के पलायन के कारण रियाल के मूल्य में तेजी से गिरावट आई। अध्ययनों के अनुसार, इस क्रांति से ठीक पहले और बाद में ईरान से पूंजी का पलायन 30 से 40 बिलियन यूएस डॉलर के बीच रहा। जुलाई 1999 में, ईरानी रियाल का मूल्य 1 यूएस डॉलर के मुकाबले 9,430 रियाल के स्तर पर आ गया।

2012 में, अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि अमेरिका ने प्रतिबंध ईरान की निरंतर अवैध परमाणु गतिविधियों में लिप्तता के कारण लगाए हैं और ईरान को प्रतिबंधित परमाणु गतिविधियों को आगे बढ़ाने से रोकने के लिए ये प्रतिबंध जरूरी थे। साथ ही, ईरान को उसके परमाणु कार्यक्रम पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा उठाए जाने वाले सवालों का जवाब देने को भी कहा। जनवरी 2012 में यूएस डॉलर के मुकाबले रियाल की अनौपचारिक दर में भारी उतार–चढ़ाव आया और कुछ ही दिनों में रियाल का मूल्य 50% कम हो गया और अंततः यह 17,000 रियाल प्रति यूएस डॉलर पर आ गया। ईरान के हालिया चुनावों के नतीजों के साथ–साथ अमेरिकी राष्ट्रपति पद पर ट्रम्प की संभावित वापसी के बारे में बढ़ती चिंताओं के कारण भी ईरानी रियाल के मूल्य में चिंताजनक गिरावट आई है।

26 सितंबर, 2024 को एक डॉलर के मुकाबले रियाल 42,105 पर बंद हुआ।

ऑस्ट्रेलियाई डॉलर

A$ 1966 से प्रचलित ऑस्ट्रेलियाई डॉलर ऑस्ट्रेलिया, क्रिसमस द्वीप, कोकोस द्वीप, नॉरफ़ॉक द्वीप, नाउरू, तुवालु और किरिबाती सहित कई देशों और क्षेत्रों की आधिकारिक मुद्रा है। ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का प्रतीक $ है, तथापि, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर को अन्य डॉलर–मूल्य वाली मुद्राओं से अलग करने के लिए A$ या AU$ जैसे प्रतीकों का भी उपयोग किया जाता है। आस्ट्रेलियाई डॉलर विश्व में पांचवीं सबसे अधिक ट्रेड की जाने वाली मुद्रा है।

ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख व्यापारिक साझेदार के रूप में, चीन की आर्थिक युक्तियां ऑस्ट्रेलियाई डॉलर को उल्लेखनीय रूप से प्रभावित करती हैं। चीन के पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना (पीबीओसी) ने हाल ही में बैंकों की भंडारण आवश्यकताओं में 50 आधार अंकों की कटौती की घोषणा की है और प्रमुख ऋण दरों को और कम करने का संकेत दिया है। इससे शुरुआत में युआन कमजोर हुआ लेकिन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर को मजबूती मिली। इस बीच, रिज़र्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया (आरबीए) ने अपनी ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखा। आरबीए का यह एहतियाती रवैया व्यापक बाजार में सहजता की प्रवृत्ति के विपरीत है और वैश्विक आर्थिक परिदृश्य को देखकर आगे बढ़ने के दृष्टिकोण को दर्शाता है। उम्मीद है कि चीन की व्यापक–आधार वाली सहजता संभावित रूप से वर्ष के अंत तक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर को 70 यूएस सेंट तक बढ़ा सकती है, जिससे यह निवेशकों के लिए एक आकर्षक मुद्रा बन जाएगी।

26 सितंबर, 2024 को एक डॉलर के मुकाबले ऑस्ट्रेलियाई डॉलर 1.45 पर बंद हुआ।

बांग्लादेशी टका

Tk बांग्लादेशी टका (बीडीटी) बांग्लादेश की आधिकारिक मुद्रा है। बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद, बांग्लादेशी टका का मूल्य एक यूएस डॉलर के मुकाबले शुरू में 7.5 और 8.0 टका के बीच था। फिर वित्तीय वर्ष 1978 को छोड़कर 1971 से 1987 तक हर साल यूएस डॉलर के मुकाबले टका का मूल्य घटता रहा। इस समस्या के समाधान के लिए, बांग्लादेश ने 1974 में आईएमएफ की प्रतिपूरक वित्तपोषण सुविधा का उपयोग किया और 1975 में टका का 56% अवमूल्यन किया। 1980 और 1983 के बीच, भुगतान संतुलन संबंधी कारणों से टका का मूल्य लगभग 50% कम हो गया।

बांग्लादेश में 15 वर्षों तक सत्तासीन रही पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग सरकार, विवादास्पद नौकरी कोटा नियम के खिलाफ बड़े पैमाने के विरोध प्रदर्शनों के कारण 5 अगस्त, 2024 को गिर गई। विरोध प्रदर्शनों और टकरावों के कारण बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है। बांग्लादेश केंद्रीय बैंक ने हाल ही में अंचर–बैंक स्तर पर यूएस डॉलर की बिक्री दर में 2.85 टका की वृद्धि की है। यह निर्णय तब आया है जब केंद्रीय बैंक देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम करने के लिए बाजार द्वारा संचालित विनिमय दर प्रणाली स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार आधे से भी कम हो गया है। 2023 तक, बांग्लादेश ने आईएमएफ से 4.7 बिलियन यूएस डॉलर का ऋण लिया था। बांग्लादेश ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, देश की मुद्रास्फीति दर जुलाई में 11.66% के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई, जो 12 वर्षों में सबसे अधिक रही। खाद्य मुद्रास्फीति भी बढ़कर 14.10% हो गई, जबकि देश में गैर–खाद्य मुद्रास्फीति दर 9.68% दर्ज की गई।

26 सितंबर, 2024 को एक डॉलर के मुकाबले बांग्लादेशी टका 119.5 पर बंद हुआ। ■

आंकड़ों में भारतीय अर्थव्यवस्था

सौजन्य: **शोध एवं विश्लेषण समूह**

भारत का मर्चेंडाइज़ व्यापार

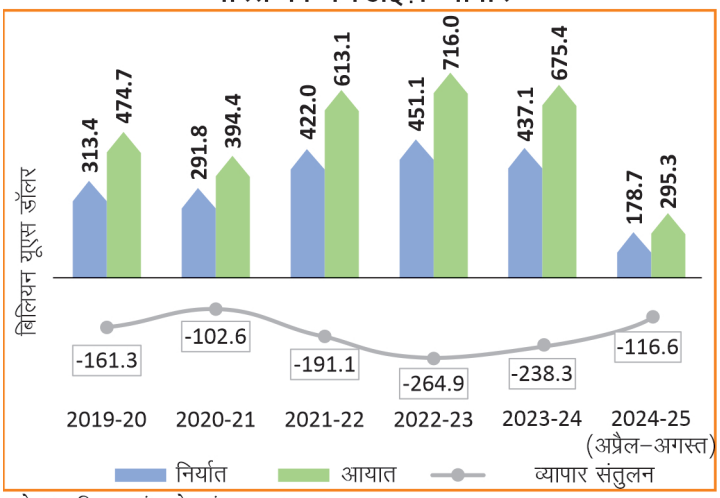

स्रोत: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

भारत की सेवाएं व्यापार

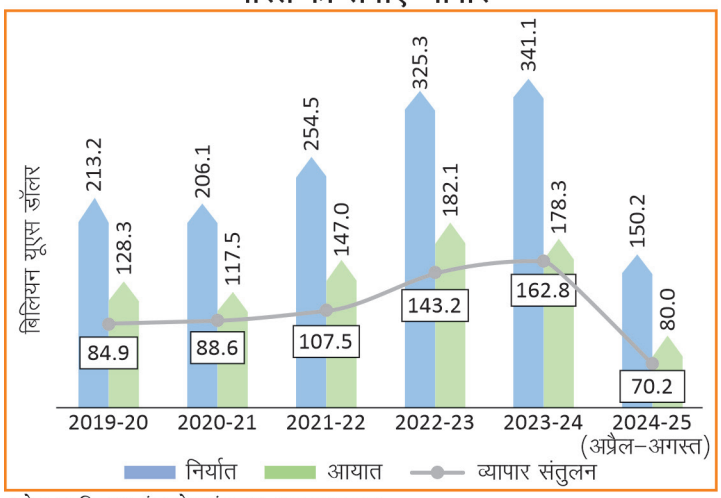

स्रोत: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

चालू खाता घाटा

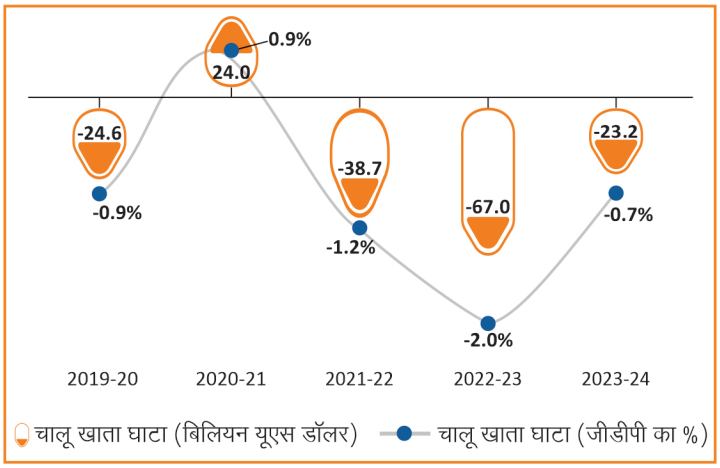

स्रोत: आरबीआई

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई)

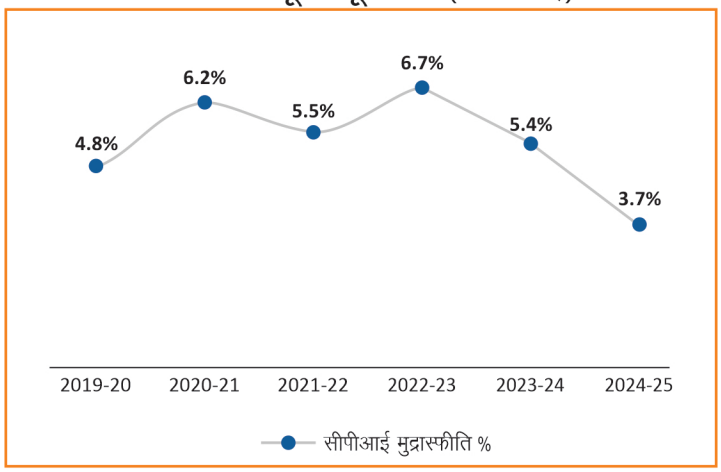

स्रोत: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह

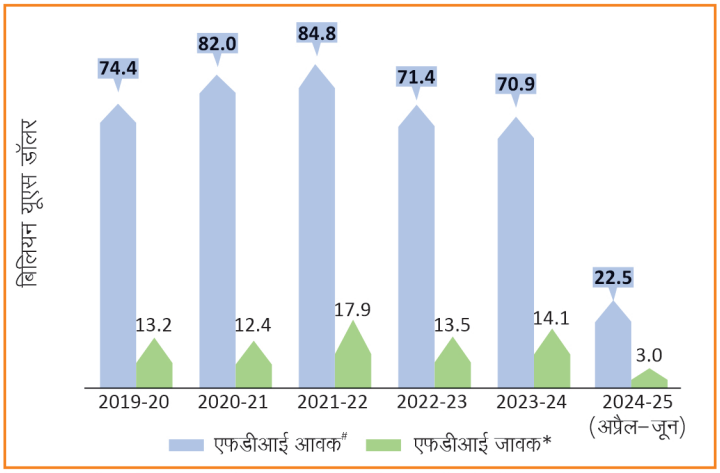

*नोट: *एफडीआई जावक वास्तविक आंकड़े दर्शाते हैं और इसमें इक्विटी, ऋण, इन्वोक की गारंटियां शामिल हैं।*
#एफडीआई आवक में इक्विटी, पुनर्निवेश आय और अन्य पूंजी शामिल है।
स्रोत: आरबीआई और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

भारत की आर्थिक वृद्धि

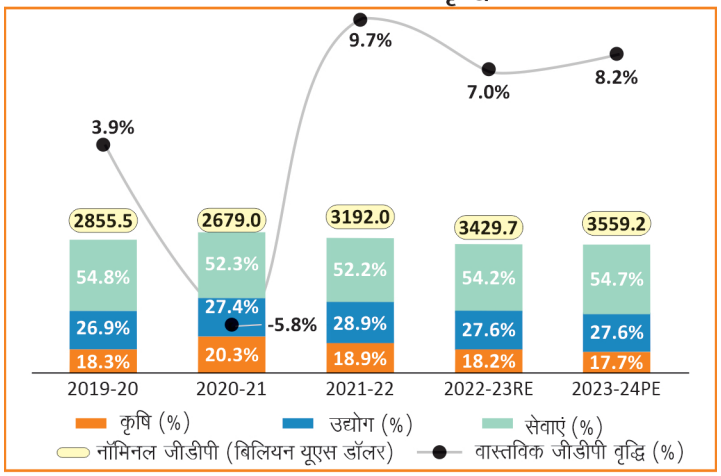

नोट: पीले रंग के आंकड़े नॉमिनल जीडीपी (बिलियन यूएस डॉलर) को दर्शाते है ;
आरई– संशोधित अनुमान ; पीई– अंतिम अनुमान
स्रोत: अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थान फाइनेंस एंड सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार